रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2017/श्रावण 6, 1939
No. 301] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2017/SRAVANA 6, 1939

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 (2009 का 25) द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय]

अधिसूचना

बिलासपुर, 26 जुलाई, 2017

सं. 220/अकादमी/2017.—केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28(2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदनोपरांत कुलपति के द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय के निम्नानुसार अध्यादेशों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है –

अध्यादेश क्रमांक – 01

विद्यापीठ मण्डल, इसकी शक्तियां व कार्य एवं अधिवेशन का आयोजन
[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 – धारा 28(1)(ण) एवं परिनियम 15(3),15(4)]

विद्यापीठ मण्डल का गठन

(1) प्रत्येक विद्यापीठ मण्डल में निम्नानुसार सदस्य होंगे –
  (i) विद्यापीठ का अधिष्ठाता, जो अध्यक्ष होगा ;
  (ii) विद्यापीठ में विभागों के अध्यक्ष ;
  (iii) विद्यापीठ के सभी आचार्य ;
  (iv) विद्यापीठ के प्रत्येक विभाग से एक सह आचार्य एवं एक सहायक आचार्य, वरिष्ठता के अनुसार बारी–बारी से ;
  (v) विद्या परिषद् द्वारा नामित विद्यापीठ के प्रत्येक विभाग से एक व्यक्ति, जो संबंधित विषय या विषयों में विशेष ज्ञान रखने वाले हों तथा विश्वविद्यालय से संसक्त न हों, बशर्ते कि विधि, वाणिज्य तथा प्रबंध अध्ययन विद्यापीठों, प्रत्येक में इस उप–कंडिका के अंतर्गत नामित किये गए सदस्यों की संख्या दो होगी।

(2) सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी

शक्तियां एवं कार्य

i) शिक्षण एवं शोध के मानकों के उत्कर्ष की योजनाओं पर विचार करना तथा ऐसे प्रस्ताव विद्या परिषद् को प्रस्तुत करना ;
ii) अध्ययन पाठयक्रमों का अनुमोदन करना ;
iii) परीक्षकों एवं अनुशोधकों के नामों की कार्य परिषद् को अनुशंसा करना ;
iv) सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित करना एवं सतत मूल्यांकन का अभिलेख संधारित करना ;
v) विद्यापीठ में एम.फिल/पी.एचडी. पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थियों पर विचार तथा विद्यापीठ मण्डल को अनुशंसा करना;

vi) पी.एचडी. उपाधि के लिये किये जाने वाले शोध पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदन पत्रों पर विचार करना;
vii) विद्यापीठ के विभागों की समय–सारिणी का समन्वयन करना ;
viii) एक से अधिक विभाग या विद्यापीठ से संबधित क्षेत्र या विषय अथवा ऐसे विषय जो विभाग या विद्यापीठ की क्षेत्र की परिधि में न हो, में शिक्षण व शोध कार्य सम्पादित करने हेतु समिति नियुक्त करना और ऐसी समितियों के कार्य का पर्यवेक्षण करना। ऐसी समितियों का गठन, शक्तियां तथा कार्य विनिमयों द्वारा निर्धारित किये जाएंगे ;
ix) सत्रीय कार्य के मूलयांकन के लिये सामान्य नियम निर्मित करना ;
x) विद्यापीठ के छात्रों के कल्याण से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करना ;
xi) संबंधित विभाग/केन्द्र/विद्यापीठ के केन्द्र की अनुशंसा पर एम.फिल/पी.एचडी. पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्रों के लिये निदेशकों या सलाहकारों को नियुक्त करना ;
xii) शोध उपाधियों के लिये अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये गये शोध प्रबंधों के मूल्यांकन के लिये, कार्य परिषद् को अनुशंसा हेतु परीक्षकों के नामों पर विचार करना और उचित अनुशंसाएं करना ;
xiii) शोध उपाधि के लिये अभ्यार्थियों द्वारा जमा किये शोध कार्य के मूल्यांकन के लिये नियुक्त परीक्षकों के प्रतिवेदन पर विचार करना एवं उचित अनुशंसाएं करना ;
xiv) विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति प्रदान करने की अनुशंसा करना ;
xv) शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार के देय अवकाश के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करना एवं अनुशंसा करना ;
xvi) विद्यापीठ के विभाग एवं उपरोक्त कंडिका (viii) में वर्णित समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचारोपरान्त शैक्षणिक पदों के सृजन एवं लोप करने के लिये विद्या परिषद् को अनुशंसा करना;
xvii) विद्यापीठ में शोध को प्रोत्साहित करना एवं विद्या परिषद् के समक्ष शोध पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ;
xviii) अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी प्रश्न, पर विचार करना तथा विद्या परिषद् को ऐसी अनुशंसाए करना, जैसी आवश्यक प्रतीत हो ;
xix) संकायाध्यक्ष या मण्डल के किसी अन्य सदस्य या किसी समिति को ऐसी सामान्य या विशेष शक्तियां प्रत्यायोजित करना, जैसी मण्डल द्वारा समय–समय पर विनिश्चित की जाएं ; तथा
xx) ऐसे अन्य सभी कार्य करना, जो कि अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश द्वारा विहित किये गए हों और ऐसे सभी प्रकरणों पर विचार करना जैसे कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये जाए।

विद्यापीठ मण्डल का अधिवेशन

क) विद्यापीठ मण्डल का अधिवेशन या तो सामान्य या विशेष होगा।
ख) सामान्यतः एक सेमेस्टर में कम से कम एक बार अधिवेशन आयोजित होगा।
ग) विद्यापीठ मण्डल का विशेष अधिवेशन विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष द्वारा स्वयं की पहल पर आहूत किया जाएगा या कुलपति की सलाह पर या विद्यापीठ मण्डल के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों के लिखित निवेदन पर आहूत किया जाएगा। विशेष अधिवेशन में पहले से अधिसूचित किये गए बिन्दुओं के अतिरिक्त पर विचार नहीं होगा। सभी सदस्यों, जिन्होंने विशेष अधिवेशन के लिए निवेदन किया हो, को अधिवेशन में उपस्थित रहना होगा।
घ) मण्डल के अधिवेशन, विशेष अधिवेशन के अतिरिक्त, की सूचना सामान्यतः अधिवेशन के लिए निश्चित दिवस के कम से कम दस दिन पूर्व निर्गत की जाएगी।
ङ) मण्डल के अधिवेशन की गणपूर्ति उसके 50 प्रतिशत सदस्यों से होगी।
ट) विनियमों द्वारा, मण्डल की अधिवेशन के संचालन के नियम, विहित किये जाएंगे।

अध्यादेश क्रमांक – 32

मानद आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों तथा अभ्यागत अध्येताओं की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें

[केन्द्रीय विष्वविद्यालय अधिनियम 2009 – धारा 6(xvi) एवं 28(1)(ण)]

मानद आचार्य

(1) कार्य परिषद् किसी ऐसे उत्कृष्ट अध्येता या लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति, जिसकी विश्वविद्यालय से सहबद्धता से विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले, को दो वर्ष की अवधि के लिये मानद आचार्य के रूप में नियुक्त कर सकती है। तथापि यह अवधि केवल एक बार एक वर्ष के लिए बढाई जा सकती है।

(2) संबंधित विभाग का अध्यक्ष, विभाग के अपने सहशिक्षकों के परामर्श से, किसी व्यक्ति को मानद आचार्य के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव कुलपति को भेज सकता है। कुलपति, स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत, नियुक्ति की अनुशंसा विद्या परिषद् को करेगा तथा विद्या परिषद् की अनुशंसा पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

(3) 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति की मानद आचार्य के रूप में नियुक्ति नहीं हो सकेगी और न ही वह मानद आचार्य के रूप में सेवाएं दे पाएगा।

(4) मानद आचार्य से अपेक्षा की जाती है कि वे संलग्न किए गए विभाग की सामान्य शैक्षणिक गतिविधियों में सहबद्ध रहेगा। यद्यपि वह विभाग या विश्वविद्यालय की किसी समिति के सदस्य नहीं होगा। मानद आचार्य के प्रति विश्वविद्यालय की किसी प्रकार की वित्तीय प्रतिबद्धता या आवास सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नहीं रहेगी।

अभ्यागत अध्येता

(i) विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक या अधिक अध्ययन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लब्धप्रतिष्ठित अध्येता को, कार्य परिषद् के अनुमोदन से कुलपति, एक वर्ष में चार माह से अधिक नहीं किंतु दो सप्ताह से कम नहीं, की अवधि के लिए व्याख्यान देने, सेमिनार में भाग लेने या विश्वविद्यालय के शिक्षण एवं शोध कार्य में किसी अन्य रूप में, जैसा उचित समझा जाए, सहभागिता के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।

(ii) अभ्यागत अध्येता को मानदेय तथा आतिथेय, जैसा प्रकरण हो, निम्नांकित मानदण्डों के अनुसार दिया जा सकेगा –

अ अभ्यागत अध्येता, मूल संस्था से वेतन प्राप्त नही करने पर, को अभ्यागत आचार्य के समान भुगतान किया जाएगा।

ब अभ्यागत अध्येता, मूल संस्था से वेतन प्राप्त करने पर, को मुफ्त आवासीय सुविधा के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार समेकित राशि का भुगतान किया जावेगा।

(iii) देश के बाहर से अभ्यागत अध्येता को लघुतम सीधे मार्ग से किफायती श्रेणी में आने–जाने का हवाई किराये का भुगतान किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रवास की अवधि न्यूनतम एक माह हो। देश के अंदर से अभ्यागत अध्येता को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार यात्रा भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

शिक्षाविदों के अलावा, अन्य क्षेत्रों जैसे उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पत्रकारिता, संगीत, साहित्य, दृश्य एवं प्रदर्शन कला के लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय से सहबद्धता चाहतें हो, को नियमानुसार अभ्यागत अध्येता के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

प्रतिष्ठित आचार्य

1.अ. कार्य परिषद्, सेवानिवृत्ति के बाद विश्वविद्यालय के ऐसे आचार्य को प्रतिष्ठित आचार्य के अलंकरण से विभूषित कर सकती है, जो इस विश्वविद्यालय से न्यूनतम पंद्रह वर्ष की सेवा, जिसमें आचार्य के रूप में विश्वविद्यालय में न्यूनतम सात वर्ष की सेवा को मिलाकर, से सेवानिवृत्त हुआ हो।

ब. कुलपति, प्रतिष्ठित आचार्य के अलंकरण से विभूषण प्रदान करने की अनुशंसा विद्या परिषद् से कर सकता है और विद्या परिषद् की अनुशंसा पर कार्य परिषद् अलंकरण का विभूषण कर सकती है।

2. प्रतिष्ठित आचार्य के अलंकरण से उन्ही अध्येताओं को विभूषित किया जायेगा, जिन्होने अपने विषय में अपने प्रकाशित शोध कार्य तथा अध्यापन में उत्कृष्ट योगदान दिया हो।

3. प्रतिष्ठित आचार्य, जिस विभाग में संलग्न है उसके संरचनात्मक ढ़ाचें के भीतर, अकादमिक कार्य कर सकता है। उसे निजी कार्यालय या स्वतंत्र प्रयोगशाला जैसी किसी तरह की विशेष सुविधा नही दी जाऐगी और न ही वे विश्वविद्यालय या विभाग की किसी समिति के सदस्य होंगे।

4. प्रतिष्ठित आचार्य के प्रति विश्वविद्यालय की किसी प्रकार की वित्तीय प्रतिबद्धता या आवास सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नहीं रहेगी।

5. प्रतिष्ठित आचार्य के अलंकरण का विभूषण जीवन पर्यन्त रहेगा।

अध्यादेश क्रमांक – 35

कुलपति की परिलब्धियॉं, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा अधिकार और कार्य

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 – धारा 28(1)(ण) तथा परिनियम 2(6)]

वेतन :–

1. वेतन : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित।
2. महंगाई तथा अन्य भत्ते : मकान किराया भत्ता को छोड़कर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित।
3. कुलपति ऐसे सेवान्त फायदों और भत्तों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय–समय पर, नियत किये जाये।
4. कुलपति अवकाश यात्रा सुविधा का हकदार होगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा, समय–समय पर, अनुमोदित की गई हो, जो भारत सरकार के नियमों के अनुरूप हो तथा यह हक भारत सरकार के सचिव के पद के समतुल्य होगा।
5. कुलपति चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा, जो कि उसके स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्यों के, विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय / नर्सिंग होम के निजी बाह्य रोगी विभाग / निजी वार्ड में, चिकित्सा उपचार कराने के लिए खर्च हुआ हो। चिकित्सालय / नर्सिंग होम की सूची भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सूची में से होनी चाहिए।
6. कुलपति यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता के मद में, जो कि उसके स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्यों पर, उसके गृह स्थान से कार्यस्थल तक तथा वापिसी पर, उसके पदभार ग्रहण तथा उसके कार्यकाल की समाप्ति पर पदभार त्याग, व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।
7. कुलपति ऐसी दरों से, जो कार्य परिषद् द्वारा नियत की जाये, यात्रा भत्ते के लिए हकदार होगा, जो भारत सरकार के नियमों के अनुरूप हो तथा यह हक भारत सरकार के सचिव के पद के समतुल्य होगा।

छुट्टी :–

1(अ). कुलपति, अपने पद के कार्यकाल के दौरान, किसी कैलेण्डर वर्ष में 30 दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा। छुट्टी, 15 दिन की दो अर्द्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप में उसके खाते में जमा कर दी जायेगी।

परन्तु यदि कुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है अथवा पदत्याग करता है तो अनुपाततः सेवा के प्रत्येक सम्पूरित मास के लिए 2½ दिन की दर से छुट्टी को जमा किया जायेगा।

1(ब). कुलपति, के छुट्टी खाते में पूर्व अर्द्धवर्ष के अंत में जमा छुट्टी नये अर्द्धवर्ष में अग्रेनीत होगी, बशर्ते कि इस तरह अग्रेनीत छुट्टी तथा उस अर्द्धवर्ष के लिए जमा छुट्टी 300 दिन की अधिकतम सीमा को पार न करें।

1(स). कुलपति, अपने पद के पदभार के त्याग करने पर, पदभार के त्याग करने के समय उसको पूर्ण वेतन पर देय छुट्टी के दिनों की संख्या के समतुल्य छुट्टी वेतन का हकदार होगा, बशर्ते यह सीमा 300 दिन, उसके द्वारा अन्यत्र लिया गया छुट्टी नगदीकरण लाभ को मिलाकर, से अधिक न हो।

1(द). कुलपति, सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए 20 दिन की दर से अर्द्धवेतन छुट्टी का भी हकदार होगा। अर्द्धवेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर लघुकृत छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा, परन्तु जब ऐसी लघुकृत छुट्टी का उपभोग किया जाता है, तो अर्द्धवेतन छुट्टी की दुगनी मात्रा बाकी देय अर्द्धवेतन छुट्टी से विकलित की जायेगी।

1(इ). कुलपति, पांच वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के दौरान, चिकित्सीय अथवा अन्य आधार पर, तीन माह की अधिकतम अवधि के लिए अवैतनिक असाधारण छुट्टी के लाभ का भी हकदार होगा।

2. यदि कुलपति आगामी कार्यकाल के लिए भी नियुक्त होता है, तो उपरिवर्णित छुट्टी अवधि प्रत्येक कार्यकाल के लिए पृथक से लागू होगी।
3. कुलपति, ऐसी छुट्टी की अवधि के दौरान, समान वेतन, मानदेय तथा भत्तों और ऐसी अन्य सेवा की सुविधाओं का हकदार होगा, जैसा कि प्रावधान किया गया है।
4. केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कार्य बुलावे, लोक सेवा अथवा किसी लोक कार्य के लिए विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिनियुक्ति के कारण कुलपति की अनुपस्थिति की स्थिति में उपयोग की गई अवधि कर्त्तव्य पर मानी जायेगी।
5. जहां पर विश्वविद्यालय के कर्मचारी की कुलपति के रूप में नियुक्ति हुई हो, तो वह, कुलपति की नियुक्ति से पहले उसके खाते में कोई छुट्टी को अपने लिए उपलब्ध करने के लिए अनुज्ञात होगा। इसी प्रकार, कुलपति के पद त्याग पर तथा अपने पूर्व पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में वह नये पद पर जमा छुट्टियों को अग्रेनीत करने का हकदार होगा।
6. यह और कि उसे, ऐसी भविष्य निधि में, जिसका वह सदस्य है, उसमें अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में उस व्यक्ति के खाते में, उसी दर से अभिदाय करेगा, जिसमें वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था।
7. यदि किसी अन्य संस्था में नियोजित व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर कुलपति नियुक्त होता है, तो वह संस्था के प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार वेतन, भत्तों, छुट्टी तथा छुट्टी वेतन का हकदार होगा, जिसका वह कुलपति के रूप में नियुक्ति से पहले हकदार था तथा वह उस पद पर धारणाधिकार रखने पर्यन्त तक हकदार रहेगा। विश्वविद्यालय उस संस्था को, जिसमें वह स्थायी रूप से नियोजित था तथा यथा अनुमन्य नियमों के अंतर्गत, छुट्टी वेतन, भविष्य निधि, पेंशन अभिदायों का भी भुगतान करेगा।

सुविधायें :–

1. कुलपति, जल, विद्युत तथा भाड़ा रहित सुसज्जित आवास सुविधा, फर्नीचर सहित, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया हो, का हकदार होगा। उसके निवास परिसर का रख–रखाव विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
2. कुलपति, निःशुल्क अधिकारिक कार की सुविधा का भी हकदार होगा। वह सचल दूरभाष तथा अपने आवास पर निःशुल्क दूरभाष (एस.टी.डी. तथा आई.एस.डी. सहित) सुविधा का भी हकदार होगा।
3. कुलपति, अपने आवास पर एक रसोईया तथा दो परिचारकों का भी हकदार होगा।

अधिकार एवं कार्य :–

कुलपति, विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षणिक प्रमुख है तथा अन्य को सम्मिलित करते हुए उसके अधिकार तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे :–

1. अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों का सम्यक रूप से पालन को सनिश्चित करना।
2. दैनन्दिनी कार्यों के लिए प्रतिकुलपति (यों), संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों तथा अन्य अधिकारियों, जो कि इस संबंध में स्पष्टतः निर्मित नियमों के आधार पर कार्य करेंगे, को अपने अधिकारों को प्रत्यायोजित करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि अल्प अवधि के लिए अस्थायी पदो के सृजन तथा अवकाश स्वीकृति आदि से संबंधित दैनन्दिनी विषयों को सामान्यतः कार्य परिषद् के विचारार्थ न भेजा जाये।
4. संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, वार्डन आदि की नियुक्ति करना। तो भी, प्रतिकुलपति एवं कुलानुशासक की नियुक्ति अधिनियम तथा परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है।
5. यदि उसकी यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई भी विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों के अधिकारातीत है अथवा ऐसा विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो उसे ऐसे विनिश्चय पर कार्यवाही न करने का अधिकार होगा। इन दोनों प्रकरणों में वह संबंधित प्राधिकारी को उस विनिश्चय के पुर्नविलोकन

करने के लिए कह सकेगा और यदि फिर भी मत भिन्नता हो, तो तत्काल उस मामले को कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा तथा कुलपति को बंधनकारी होगा।

6. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, निकायों तथा समितियों के अध्यक्ष के रूप में उसको, किसी सदस्य को उस प्राधिकारी, निकाय अथवा समिति की बैठक से, सतत् बाधा डालने के लिए, कार्यवाहियों को रोकने अथवा ऐसा व्यवहार, जो कि सदस्य के रूप में अवांछित हो में संलग्न होने के लिए, निलंबित करने का अधिकार होगा।
7. विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों के संबंध में समस्त अनुशासनिक अधिकार कुलपति में निहित होंगे। उसको, किसी कर्मचारी (अध्यापक तथा शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के सदस्य) को निलंबित करने तथा उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ करने का, अधिकार होगा। तो भी, कुलपति इन अधिकारों को अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
8. वह, निर्धारित समय पर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समुचित आयोजन एवं संचालन तथा उन परीक्षाओं के परिणामों के त्वरित प्रकाशन तथा विश्वविद्यालय के अकादमिक सत्र के समुचित दिनांक पर प्रारम्भ तथा अंत को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा नियंत्रक के कृत्यों का पर्यवेक्षण करेगा।
9. आपात परिस्थितियों में किसी प्राधिकारी, जिसमें वह अधिकार निहित है, की ओर से वह कोई कार्रवाई कर सकेगा तथा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को उसके अगले अधिवेशन में देगा।
10. वह अधिकारियों, शिक्षकों, स्टाफ तथा छात्रों को उत्तरदायित्वों के आबंटन तथा वांछित मानकों के विरूद्ध के निष्पादन के अंकेक्षण के लिए जिम्मेवार होगा।
11. व्यक्तियों (छात्रों तथा अकादमिक स्टाफ को सम्मिलित कर) का प्रबंधन, इस प्रकार कि उसका वृहद रूप से समाज पर सकारात्मक प्रभाव हो तथा ऐसे कृत, विकास की समग्र योजनाओं आदि के अनुरूप हों।
12. परिनियमों/अध्यादेशों में वर्णित सभी प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना।
13. ऐस आदेश निर्गत करना तथा ऐसे उपाय करना जो कि उपरोक्त में से किसी के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों।

अध्यादेश क्रमांक — 36

प्रतिकुलपति की परिलब्धियॉ, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा अधिकार और कार्य

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 — धारा 28(1)(ण) तथा परिनियम 4(3)]

प्रतिकुलपति निम्नानुसार वेतन प्राप्त करेगा :

1. वेतन : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित।
2. महंगाई तथा अन्य भत्ते : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित।

   यह कि इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था/सरकार तथा उसके संगठनों में नियोजित कर्मचारी प्रतिकुलपति नियुक्त होता है तो वह उस संस्था की सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं (यथा– सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/पेंशन/उपदान/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता) के समान सतत रूप से शासित होगा, जिसका वह प्रतिकुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले हकदार था तथा वह उस पद पर धारणाधिकार रखने पर्यन्त तक हकदार रहेगा।
3. प्रतिकुलपति चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा, जो कि उसके स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्यों के, विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय/नर्सिंग होम के निजी बाह्य रोगी विभाग/निजी वार्ड में, चिकित्सा उपचार कराने के लिए खर्च हुआ हो। चिकित्सालय/नर्सिंग होम की सूची भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सूची में से होनी चाहिए।
4. प्रतिकुलपति यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता के मद में, जो कि उसके स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्यों पर, उसके गृह स्थान से कार्यस्थल तक तथा वापिसी पर, उसके पदभार ग्रहण तथा उसके कार्यकाल की समाप्ति पर पदभार त्याग, व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।
5. प्रतिकुलपति ऐसी दरों से, जो कार्य परिषद् द्वारा नियत की जाय, यात्रा भत्ते के लिए हकदार होगा, जो भारत सरकार के नियमों के अनुरूप हो तथा समान ग्रेड वेतन/अकादमिक ग्रेड वेतन के पद के समतुल्य होगा।
6. प्रतिकुलपति, जल, विद्युत तथा भाड़ा रहित सुसज्जित आवास सुविधा का हकदार होगा। उसके निवास परिसर का रख–रखाव विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
7. प्रतिकुलपति, अपने आवास तथा कार्यालय के मध्य की गई यात्राओं के लिए, निःशुल्क अधिकारिक कार की सुविधा का हकदार होगा। वह सचल दूरभाष तथा अपने आवास पर निःशुल्क दूरभाष (एस.टी.डी. तथा आई.एस.डी. सहित) सुविधा का भी हकदार होगा।
8. प्रतिकुलपति, अपने आवास पर एक परिचारक का हकदार होगा।

छुट्टी :—

(क). प्रतिकुलपति, किसी कैलेण्डर वर्ष में 30 दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा। छुट्टी, 15 दिन की दो अर्द्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप में उसके खाते में जमा कर दी जायेगी।

परन्तु यदि प्रतिकुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान प्रतिकुलपति का पदभार ग्रहण करता है अथवा पदत्याग करता है तो अनुपाततः सेवा के प्रत्येक सम्पूरित मास के लिए 2½ दिन की दर से छुट्टी को जमा किया जायेगा।

(ख). प्रतिकुलपति, के छुट्टी खाते में पूर्व अर्द्धवर्ष के अंत में जमा छुट्टी नये अर्द्धवर्ष में अग्रेनीत होगी, बशर्ते कि इस तरह अग्रेनीत छुट्टी तथा उस अर्द्धवर्ष के लिए जमा छुट्टी 300 दिन की अधिकतम सीमा को पार न करें।

(ग). प्रतिकुलपति, अपने पद के पदभार के त्याग करने पर, पदभार के त्याग करने के समय उसको पूर्ण वेतन पर देय छुट्टी के दिनों की संख्या के समतुल्य छुट्टी वेतन का हकदार होगा, बशर्ते यह सीमा 300 दिन, उसके द्वारा अन्यत्र लिया गया छुट्टी नगदीकरण लाभ को मिलाकर, से अधिक न हो।

(घ). प्रतिकुलपति, सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए 20 दिन की दर से अर्द्धवेतन छुट्टी का भी हकदार होगा। अर्द्धवेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर लघुकृत छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा, परन्तु जब ऐसी लघुकृत छुट्टी का उपभोग किया जाता है, तो अर्द्धवेतन छुट्टी की दुगनी मात्रा बाकी देय अर्द्धवेतन छुट्टी से विकलित की जायेगी।

(ङ). यदि प्रतिकुलपति आगामी कार्यकाल के लिए भी नियुक्त होता है, तो उपरिवर्णित छुट्टी अवधि प्रत्येक कार्यकाल के लिए पृथक से लागू होगी।

(च) प्रतिकुलपति, ऐसी छुट्टी की अवधि के दौरान, समान वेतन, मानदेय तथा भत्तों और ऐसी अन्य सेवा की सुविधाओं का हकदार होगा, जैसा कि प्रावधान किया गया है।

(छ) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कार्य बुलावे, लोक सेवा अथवा किसी लोक कार्य के लिए विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिनियुक्ति के कारण प्रतिकुलपति की अनुपस्थिति की स्थिति में उपयोग की गई अवधि कर्त्तव्य पर मानी जायेगी।

(ज) जहां पर विश्वविद्यालय के कर्मचारी की प्रतिकुलपति के रूप में नियुक्ति हुई हो, तो वह, प्रतिकुलपति की नियुक्ति से पहले उसके खाते में कोई छुट्टी को अपने लिए उपलब्ध करने के लिए अनुज्ञात होगा। इसी प्रकार, प्रतिकुलपति के पद त्याग पर तथा अपने पूर्व पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में वह नये पद पर जमा छुट्टियों को अग्रेनीत करने का हकदार होगा।

यह और कि उसे, ऐसी भविष्य निधि में, जिसका वह सदस्य है, उसमें अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में उस व्यक्ति के खाते में, उसी दर से अभिदाय करेगा, जिसमें वह व्यक्ति प्रतिकुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था।

(झ) यदि किसी अन्य संस्था में नियोजित व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर प्रतिकुलपति नियुक्त होता है, तो वह संस्था के प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार वेतन, भत्तों, छुट्टी तथा छुट्टी वेतन का हकदार होगा, जिसका वह प्रतिकुलपति के रूप में नियुक्ति से पहले हकदार था तथा वह उस पद पर धारणाधिकार रखने पर्यन्त तक हकदार रहेगा। विश्वविद्यालय उस संस्था को, जिसमें वह स्थायी रूप से नियोजित था तथा यथा अनुमन्य नियमों के अंतर्गत, छुट्टी वेतन, भविष्य निधि, पेंशन अभिदायों का भी भुगतान करेगा।

अधिकार एवं कार्य :–

प्रतिकुलपति, कुलपति की ऐसे विषयों के संबंध में सहायता करेगा, जो इस निमित्त कुलपति द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जाये तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन भी करेगा, जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे अथवा प्रत्यायोजित किये जाएं।

अध्यादेश क्रमांक – 37

कुलसचिव की परिलब्धियॉं, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा अधिकार और कार्य

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 – धारा 28(1)(ण) तथा परिनियम 6(3)]

01. कुलसचिव, पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा सीधी भर्ती के आधार पर इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर, पांच वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी और वह कार्य परिषद् द्वारा (चयन प्रक्रिया के सम्यक पालन उपरान्त) समान शर्तों के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है तथा उसका, समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये तथा कार्य परिषद् द्वारा अंगीकृत किये गये वेतनमान में स्थानन होगा।

परन्तु कुलसचिव 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा।

यह कि इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था/सरकार तथा उसके संगठनों में नियोजित कर्मचारी कुलसचिव नियुक्त होता है तो वह उस संस्था की सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं (यथा– सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/पेंशन/उपदान/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता) के समान सतत रूप से शासित होगा, जिसका वह कुलसचिव के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले हकदार था तथा वह उस पद पर धारणाधिकार रखने पर्यन्त तक हकदार रहेगा।

02. कुलसचिव की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि विश्वविद्यालय के गैर अवकाशकालीन कर्मचारियों के लिए विहित की जाएं।

03. जब कुलसचिव का पद रिक्त है अथवा जब कुलसचिव रूग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब तक उस पद के कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।

04. यदि कुलसचिव की सेवायें सरकार अथवा किसी अन्य संगठन/संस्था से उधार ली गई हो, तो उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें भारत सरकार के प्रतिनियुक्ति नियमों के द्वारा शासित होंगी।

05. प्रतिनियुक्ति पर कुलसचिव को, कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा, अनुबंधित अवधि से पहले समप्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

06. कुलसचिव गैर—सुसज्जित आवास सुविधा का हकदार होगा। जिसके लिए वह निर्धारित लाईसेंस शुल्क देगा तथा वह सचल दूरभाष तथा अपने आवास पर निःशुल्क दूरभाष (एस.टी.डी. तथा आई.एस.डी. सहित) सुविधा का भी हकदार होगा।

07. कुलसचिव, ऐसे अवकाश, भत्तों, भविष्य निधि तथा अन्य सेवान्त लाभों, जो कि समय—समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने गैर अवकाशकालीन कर्मचारियों के लिए विहित की गई हो, का हकदार होगा।

08. कुलसचिव, अपने आवास तथा कार्यालय के मध्य स्टाफ कार की सुविधा का हकदार होगा।

उत्तरदायित्व तथा कर्त्तव्य :

01. कुलसचिव को, अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्दों को छोड़कर, ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाएं तथा जांच होने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिन्दा की या वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी।

    क) परन्तु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी, जब तक व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्थापित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो।

    ख) उप—कंडिका (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश के विरूद्ध अपील कुलपति को होगी।

    ग) ऐसे मामलों में, जहां जांच से यह प्रगट हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दण्ड अपेक्षित है वहां, कुलसचिव, जांच के पूरा होने पर कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा।

    परन्तु शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरूद्ध अपील कार्य परिषद को होगी।

02. कुलसचिव, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा, किन्तु यह इन प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य नहीं समझा जायेगा और वह सभा का पदेन सदस्य सचिव होगा।

03. कुलसचिव का यह कर्त्तव्य होगा कि वह

    क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्तियों को, जो कार्य परिषद् उसके भार साधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे ;

    ख) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनायें निर्गत करें ;

    ग) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् के और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे ;

    घ) सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के अधिकारिक पत्र व्यवहार करे ;

    ड.) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिवेशनों की कार्य सूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं और इन अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे ;

    च) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करें, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करें तथा अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करें ;

    छ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किये जाएं अथवा जिनकी कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा, समय—समय पर अपेक्षा की जाएं।

अध्यादेश क्रमांक — 38

वित्त अधिकारी की परिलब्धियाँ, सेवा के निबंधन और शर्तें

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 — धारा 28(1)(ण) तथा परिनियम 7(3)]

01. वित्त अधिकारी, पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा सीधी भर्ती के आधार पर इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर, पांच वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी और वह कार्य परिषद् द्वारा (चयन प्रक्रिया के सम्यक पालन उपरान्त) समान शर्तों के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है तथा उसका, समय—समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये तथा कार्य परिषद् द्वारा अंगीकृत किये गये वेतनमान में स्थानन होगा।

    परन्तु, यदि वित्त अधिकारी, किसी संगठन/लेखा/अंकेक्षण सेवा/संवर्ग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त होता है तो उसका वेतन उस संस्था, जिससे वह संबंध रखता है, के सेवा प्रतिनियुक्ति नियमों, उस पर यथा ग्राह्य, के अनुसार होगा।

    परन्तु वित्त अधिकारी 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा।

02. यह कि इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था/सरकार तथा उसके संगठनों में नियोजित कर्मचारी वित्त अधिकारी नियुक्त होता है तो वह उस संस्था की सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं (यथा– सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/पेंशन/उपदान/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता) के समान सतत रूप से शासित होगा, जिसका वह वित्त अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले हकदार था तथा वह उस पद पर धारणाधिकार रखने पर्यन्त तक हकदार रहेगा।

03. जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है अथवा जब वित्त अधिकारी रूग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब तक उस पद के कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।

04. वित्त अधिकारी की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो कि विश्वविद्यालय के गैर अवकाशकालीन कर्मचारियों के लिए विहित की जाएं।

05. यदि वित्त अधिकारी की सेवायें सरकार अथवा किसी अन्य संगठन/संस्था से उधार ली गई हो, तो उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें भारत सरकार के प्रतिनियुक्ति नियमों के द्वारा शासित होंगी।

06. प्रतिनियुक्ति पर वित्त अधिकारी को, कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा, अनुबंधित अवधि से पहले समप्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

07. वित्त अधिकारी गैर–सुसज्जित आवास सुविधा का हकदार होगा। जिसके लिए वह निर्धारित लाईसेंस शुल्क देगा तथा वह सचल दूरभाष तथा अपने आवास पर निःशुल्क दूरभाष (एस.टी.डी. तथा आई.एस.डी. सहित) सुविधा का भी हकदार होगा।

08. वित्त अधिकारी, ऐसे अवकाश, भत्तों, भविष्य निधि तथा अन्य सेवान्त लाभों, जो कि समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने गैर अवकाशकालीन कर्मचारियों के लिए विहित की गई हो, का हकदार होगा।

09. वित्त अधिकारी अपने आवास तथा कार्यालय के मध्य स्टाफ कार की सुविधा का हकदार होगा।

उत्तरदायित्व तथा कर्त्तव्य :

वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किन्तु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जायेगा।

01. वित्त अधिकारी,
    - क) विश्वविद्यालय की निधियों का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा; तथा
    - ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा निहित किये जाएं ;
    - ग) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी
        - i) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास की सम्पत्ति भी है, धारण करेगा और उसका प्रबंधन करेगा ;
        - ii) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाएं और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाय, जिसके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है ;
        - iii) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किये जाने और उनको कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा ;
        - iv) नगद और बैंक अतिशेषों तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा ;
        - v) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा ;
        - vi) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा सभी कार्यालयों, विभागों, केन्द्रों तथा विशेषित प्रयोगशालाओं के उपस्कर तथा अन्य उपयोज्य सामग्री के स्टॉक की जांच की जाये ;
        - vii) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लायेगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा ; तथा
        - viii) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे किसी कार्यालय, विभाग, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ;

02. वित्त अधिकारी की या कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों की विश्वविद्यालय को देय किसी धन के बारे में रसीद, उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

अध्यादेश क्रमांक — 39

परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियॉं, सेवा के निबंधन और शर्तें

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 — धारा 28(1)(ण) तथा परिनियम 8(3)]

01. परीक्षा नियंत्रक, पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा सीधी भर्ती के आधार पर इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर, पांच वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी और वह कार्य परिषद् द्वारा (चयन प्रक्रिया के सम्यक पालन उपरान्त) समान शर्तों के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है तथा उसका, समय—समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये तथा कार्य परिषद् द्वारा अंगीकृत किये गये वेतनमान में स्थानन होगा।

    परन्तु, यदि परीक्षा नियंत्रक, किसी संगठन से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त होता है तो उसका वेतन उस संस्था, जिससे वह संबंध रखता है, के सेवा प्रतिनियुक्ति नियमों, उस पर यथा ग्राह्य, के अनुसार होगा।

    परन्तु परीक्षा नियंत्रक 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा।

02. यह कि इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था/सरकार तथा उसके संगठनों में नियोजित कर्मचारी परीक्षा नियंत्रक नियुक्त होता है तो वह उस संस्था की सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं (यथा— सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/पेंशन/उपदान/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता) के समान सतत रूप से शासित होगा, जिसका वह परीक्षा नियंत्रक के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले हकदार था तथा वह उस पद पर धारणाधिकार रखने पर्यन्त तक हकदार रहेगा।

03. परीक्षा नियंत्रक की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो कि विश्वविद्यालय के गैर अवकाशकालीन कर्मचारियों के लिए विहित की जाएं।

04. यदि परीक्षा नियंत्रक की सेवायें सरकार अथवा किसी अन्य संगठन/संस्था से उधार ली गई हो, तो उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें भारत सरकार के प्रतिनियुक्ति नियमों के द्वारा शासित होंगी।

05. जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है अथवा जब परीक्षा नियंत्रक रूग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब तक उस पद के कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

06. प्रतिनियुक्ति पर परीक्षा नियंत्रक को, कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा, अनुबंधित अवधि से पहले समप्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

07. परीक्षा नियंत्रक गैर—सुसज्जित आवास सुविधा का हकदार होगा। जिसके लिए वह निर्धारित लाईसेंस शुल्क देगा तथा वह सचल दूरभाष तथा अपने आवास पर निःशुल्क दूरभाष (एस.टी.डी. तथा आई.एस.डी. सहित) सुविधा का भी हकदार होगा।

08. परीक्षा नियंत्रक, ऐसे अवकाश, भत्तों, भविष्य निधि तथा अन्य सेवान्त लाभों, जो कि समय—समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने गैर अवकाशकालीन कर्मचारियों के लिए विहित की गई हो, का हकदार होगा।

09. परीक्षा नियंत्रक अपने आवास तथा कार्यालय के मध्य स्टाफ कार की सुविधा का हकदार होगा।

उत्तरदायित्व तथा कर्त्तव्य :

परीक्षा नियंत्रक, अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परीक्षाओं के संचालन के लिए व्यवस्थाओं से संबंधित कर्त्तव्यों तथा ऐसे कर्त्तव्यों एवं कृत्यों, जो कि समय—समय पर कार्य परिषद्/कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं, का पालन करेगा।

अध्यादेश क्रमांक — 40

पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलब्धियॉं, सेवा के निबंधन और शर्तें

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 — धारा 28(1)(ण)]

01. पुस्तकालयाध्यक्ष, पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, की नियुक्ति सीधी भर्ती के आधार पर इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जायेगी तथा उसका, समय—समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये तथा कार्य परिषद् द्वारा अंगीकृत किये गये वेतनमान में स्थानन होगा।

    परन्तु, यदि पुस्तकालयाध्यक्ष, किसी संगठन से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त होता है तो उसका वेतन उस संस्था, जिससे वह संबंध रखता है, के सेवा प्रतिनियुक्ति नियमों, उस पर यथा ग्राह्य, के अनुसार होगा।

    परन्तु पुस्तकालयाध्यक्ष 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा।

02. यह कि इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था/सरकार तथा उसके संगठनों में नियोजित कर्मचारी पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त होता है तो वह उस संस्था की सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं (यथा— सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/पेंशन/उपदान/ स्थानान्तरण यात्रा भत्ता) के समान सतत रूप से शासित होगा, जिसका वह पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले हकदार था तथा वह उस पद पर धारणाधिकार रखने पर्यन्त तक हकदार रहेगा।

03. पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो कि विश्वविद्यालय के गैर अवकाशकालीन कर्मचारियों के लिए विहित की जाएं।

04. यदि पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवायें सरकार अथवा किसी अन्य संगठन/संस्था से उधार ली गई हो, तो उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें भारत सरकार के प्रतिनियुक्ति नियमों के द्वारा शासित होंगी।

05. जब पुस्तकालयाध्यक्ष का पद रिक्त है अथवा जब पुस्तकालयाध्यक्ष रूग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब तक उस पद के कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

06. प्रतिनियुक्ति पर पुस्तकालयाध्यक्ष को, कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा, अनुबंधित अवधि से पहले समप्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

07. पुस्तकालयाध्यक्ष गैर–सुसज्जित आवास सुविधा का हकदार होगा। जिसके लिए वह निर्धारित लाईसेंस शुल्क देगा तथा वह सचल दूरभाष तथा अपने आवास पर निःशुल्क दूरभाष (एस.टी.डी. सुविधा सहित) सेवा का भी हकदार होगा।

08. पुस्तकालयाध्यक्ष, ऐसे अवकाश, भत्तों, भविष्य निधि तथा अन्य सेवान्त लाभों, जो कि समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने गैर अवकाशकालीन कर्मचारियों के लिए विहित की गई हो, का हकदार होगा।

उत्तरदायित्व तथा कर्त्तव्य :

पुस्तकालयाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

अध्यादेश क्रमांक – 41

कुलानुशासक की शक्तियां एवं कार्य

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 – धारा 28(1)(ण) तथा परिनियम 28(2)]

01. कुलानुशासक, की नियुक्ति विश्वविद्यालय के शिक्षकों, सह–आचार्य के पद से नीचे नहीं हो, में से कार्य परिषद् द्वारा की जायेगी तथा छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जैसा उसे कुलपति द्वारा प्रत्यायोजित/सौंपे जाएं।

उपरिसंदर्भित "छात्रों" से विश्वविद्यालय के नियमित, स्वाध्यायी/पूर्व छात्र अभिप्रेत है, जो अध्ययन विभाग/छात्रावास/केन्द्र/अध्ययन विद्यालय की नामावली पंजी में दर्ज है।

02. कुलानुशासक, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए हकदार होगा।

03. कुलानुशासक, को ऐसी शक्तियां होंगी जैसी उसे कुलपति द्वारा प्रत्यायोजित की जाएं।

04. कुलानुशासक, ऐसे भत्तों तथा सुविधाओं, जैसी समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित की जाएं, का हकदार होगा।

05. कुलानुशासक, अनुशासन समिति का सचिव होगा तथा उस समिति के अधिवेशनों को आहूत करेगा।

06. कुलानुशासक की सहायता के लिए उप–कुलानुशासक तथा सहायक कुलानुशासक, तीन वर्ष की पदावधि के लिए कुलपति द्वारा नियुक्त, होंगे।

07. उप–कुलानुशासक तथा सहायक कुलानुशासक, ऐसे भत्तों तथा सुविधाओं, जैसी समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित की जाएं, के हकदार होंगे।

08. कुलानुशासक को किसी अनुशासन भंग के संज्ञान लेने तथा यदि परिस्थितियों में ऐसा अपेक्षित हो तो ऐसे प्रकरणों में त्वरित अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी।

09. कुलानुशासक :

i) छात्र समुदाय में प्रचलित अनुशासनिक वातावरण का अनुवीक्षण करेगा ;

ii) कतिपय कृत्यों को विनियमित करने तथा व्यैक्तिक या सामूहिक अनुशासनहीनता को पहले से ही रोकने के प्रबंध के उद्देश्य हेतु अन्य व्यवस्थायें करने के लिए सूचनाओं, चेतावनियों, निर्देशों को निर्गत करने जैसे निवाराणात्मक कदम उठायेगा ;

iii) अनुशासनहीनता की घटनाओं के बारे में प्रासंगिक तथ्यों का संग्रहण, साक्ष्यों का मूल्यांकन तथा गलती करने वाले छात्रों पर लागू होने वाले दण्ड की मात्रा का निर्णय/अनुशंसा करेगा। जिस–जिस समय आवश्यक समझा जाये, कुलानुशासक सुसंगत जानकारियों को कुलपति या अनुशासन समिति के समक्ष उनके निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा ; तथा

iv) छात्रों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित आदेश निर्गत करेगा।

10. कुलानुशासक, अध्ययन विद्यालय में साईकिल/स्कूटर स्टैण्ड के रख–रखाव के लिए, व्यवस्था करेगा।

11. कुलानुशासक, विश्वविद्यालय परिसर में कानून–व्यवस्था से संबंधित प्रकरणों में स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क बनाये रखेगा।

12. कुलानुशासक को शक्तियां होंगी –

i) कुलपति द्वारा सौंपे गये या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचित या स्वयं के द्वारा ध्यान में लाये गये अनुशासन भंग के प्रकरणों में कार्यवाहियों को स्थगित या प्रारम्भ करने की ;

ii) विश्वविद्यालय से किसी छात्र को अधिकतम दो सप्ताह की अवधि के लिए निलंबित करने की ; तथा

iii) समय–समय पर यथा विहित अर्थ दण्ड अधिरोपित करने की ;

13. अनुशासनिक कार्रवाई के सभी प्रकरणों में, जहां प्रकरण के निपटाने में कुलानुशासक, उसको दण्ड अधिरोपित करने की शक्तियों से अधिक दण्ड देना समझे तो, वह उसे अनुशासन समिति को समुचित कार्रवाई के लिए संसूचित करेगा।
14. विदेशी छात्रों का कल्याण (वीजा आदि)।
15. अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा
16. विश्वविद्यालय सम्पत्ति का संरक्षण

कुलानुशासक ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो कि कुलपति द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट किये जाये।

अध्यादेश क्रमांक — 42
अधिष्ठाता छात्र कल्याण की शक्तियां एवं कार्य
[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 — धारा 28(1)(ठ) तथा (ण) तथा परिनियम 36]

01. अधिष्ठाता छात्र कल्याण की नियुक्ति विश्वविद्यालय के शिक्षकों, सह—आचार्य के पद से नीचे नहीं हो, में से कुलपति द्वारा की जायेगी तथा छात्रों के कल्याण के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जैसे उसे कुलपति द्वारा प्रत्यायोजित/सौंपे जाएं।

    उपरिसंदर्भित ''छात्रों'' से विश्वविद्यालय के नियमित, स्वाध्यायी/पूर्व छात्र अभिप्रेत है, जो अध्ययन विभाग/छात्रावास/केन्द्र/अध्ययन विद्यालय की नामावली पंजी में दर्ज है।
02. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए हकदार होगा।
03. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, को ऐसी शक्तियां होंगी जैसी उसे कुलपति द्वारा प्रत्यायोजित की जाएं।
04. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, ऐसे भत्तों तथा सुविधाओं, जैसी समय—समय पर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित की जाएं, का हकदार होगा।
05. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, छात्र परिषद् का सभापति होगा तथा छात्र परिषद् के अधिवेशनों को आहूत करेगा।
06. अधिष्ठाता छात्र कल्याण की सहायता के लिए उप— अधिष्ठाता छात्र कल्याण तथा सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण, तीन वर्ष की पदावधि के लिए कुलपति द्वारा नियुक्त, होंगे।
07. उप— अधिष्ठाता छात्र कल्याण तथा सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण, ऐसे भत्तों तथा सुविधाओं, जैसी समय—समय पर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित की जाएं, के हकदार होंगे।
08. अधिष्ठाता छात्र कल्याण अध्यापन कक्ष से बाहर छात्रों के सामान्य कल्याण की देखभाल करेगा, जिससे उनके व्यक्तित्व के वृद्धि तथा विकास में योगदान हो। अधिष्ठाता छात्र कल्याण, छात्रों के मध्य विश्वविद्यालय में हितकर बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संस्थागत जीवनचर्या के माध्यम से अपने उद्देश्यों की भरपूर उपलब्धि के लिए समझ के उन्नयन का, प्रयास करेगा।
09. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, छात्रों को सामान्यतः प्रभावित करने वाले सभी प्रकरणों में कुलपति की सहायता करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो कि कुलपति द्वारा अधिष्ठाता छात्र कल्याण को सौंपे जाएं।
10. अन्य सभी कर्त्तव्यों के अतिरिक्त, अधिष्ठाता छात्र कल्याण निम्नलिखित प्रकरणों के संबंध में, विश्वविद्यालय के अन्य संबंधित अधिकारियों तथा इकाईयों से परामर्श तथा संयोजन से, कर्त्तव्यों तथा कार्यों का पालन करेगा :
    - क) विश्वविद्यालय से बाहर खेल—कूद गतिविधियों में सहभागिता तथा शैक्षणिक भ्रमण तथा सैर के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना ;
    - ख) छात्रों की सहभागिता से सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन ;
    - ग) विश्वविद्यालय में छात्र निकायों तथा उनके कार्यों का आयोजन ;
    - घ) छात्र—शिक्षक के संबंध ;
    - ङ) जरूरतमंद छात्रों को वित्तीय सहायता ;
    - च) देश में तथा बाहर उच्चत्तर अध्ययन के लिए अध्येतावृत्ति या शोधवृत्ति को प्राप्त करना ;
    - छ) स्वास्थ्य तथा चिकित्सीय सेवाएं ;
    - ज) छात्र परामर्श सेवा ;
    - झ) महिला छात्राओं तथा अन्यथा योग्य छात्रों के लिए विशेष व्यवस्थाओं, यदि कोई हो, को उपलब्ध कराना ;
    - ञ) विश्वविद्यालय प्रशासन तथा छात्रों के मध्य सम्पर्क ;
    - ट) छात्र सूचना सेवाएं ;
    - ठ) पूर्व छात्र संगम ; तथा
    - ड) प्रमाण पत्रों का निर्गम, जैसा कुलपति द्वारा अधिकृत तथा प्रत्यायोजित किया जाए।
11. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, विश्वविद्यालय में प्रत्येक छात्र के, उसके नामांकन की तिथि से, आवश्यक विवरण संधारित करेगा।

12. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, किसी प्रकरण के संबंध में जिसमें माता–पिता/अभिभावकों की सहायता तथा सहयोग वांछित हो, छात्रों के माता–पिता/अभिभावकों से सम्प्रेषण करेगा।

13. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, कुलपति के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा तथा अनुशासन समिति एवं छात्रों और छात्रों के प्रकरणों से संबंधित अन्य समितियों का सदस्य होगा।

14. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण ऐसे छात्रों, जिन्हें विशेष ध्यान दिया जाना हों या जिनका आचरण तथा गतिविधियां विश्वविद्यालय के लाभ हितों में न हों या विश्वविद्यालय में उनका रहना लाभकारी संभावित न हो, के प्रकरणों को कुलपति को संसूचित करेगा।

अध्यादेश क्रमांक – 44

संकायाध्यक्षों की समिति

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 – धारा 28(1)(ठ) एवं (ण)]

01. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों की, एक समिति गठित करेगा जो संकायाध्यक्षों की समिति से ज्ञात होगी।

02. संकायाध्यक्षों की समिति में निम्नलिखित होंगे :

i)	कुलपति	अध्यक्ष (पदेन)
ii)	विद्यापीठों के संकायाध्यक्षगण	सदस्य (पदेन)
iii)	कुलसचिव	सचिव

03. इस समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :
    क) अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की अनुशंसा करना ;
    ख) परीक्षाओं के संचालन, परिणामों के मानको, आदि से उद्भूत होने वाले ऐसे प्रकरण, जो आवश्यक हो, पर विचार करना ;
    ग) विद्यापीठों तथा विभागों के कार्य से संबंधित सामान्य प्रशासनिक प्रकरणों पर विचार करना ; तथा
    घ) ऐसे अन्य प्रकरणों, जो कि उसको कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं अथवा कुलपति द्वारा अभिनिर्देशित किये जाएं, पर विचार करना।

04. संकायाध्यक्षों की समिति के अधिवेशनों को अध्यक्ष द्वारा बुलाया जायेगा।

05. समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से होगी।

06. अधिवेशनों के कार्य संचालन के नियम, इस संबंध में, विनियमों द्वारा विहित की जायेगी।

अध्यादेश क्रमांक – 45

परीक्षाओं/उपाधियों की मान्यता के लिए समतुल्यता समिति

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 – धारा 28(1)(ण)]

गठन :

एक समतुल्यता समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

01.	प्रतिकुलपति या कुलपति का नामनिर्देशिती	अध्यक्ष
02.	विद्यापीठों के संकायाध्यक्षगण	सदस्य
03.	विद्या परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित एक व्यक्ति	सदस्य
04.	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
05.	कुलसचिव	सचिव

कार्य :

इस समिति के कार्य होंगे :

01. ऐसी परीक्षाओं/उपाधियों, विदेशी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं/उपाधियों को मिलाकर, जो कि उसको समय–समय पर सौंपी जाएं, की समतुल्यता का परीक्षण करना तथा विद्या परिषद् को अनुशंसा करना।
02. किसी परीक्षा/उपाधि की मान्यता, ऐसे कारणों तथा ऐसे समय के लिए, जैसा वह उचित समझे, को रोकने, निलंबित करने तथा निरस्त करने का परीक्षण करना तथा विद्या परिषद् को अनुशंसा करना।
03. समिति, जब भी आवश्यक हो, अपने कार्यों में सहयोग के लिए विषय विशेषज्ञ आमंत्रित कर सकती है।

कार्य संचालन के नियम :

विद्या परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु समिति अपने कार्य संचालन के नियम बनायेगी तथा दिशा निर्देश प्रस्तुत करेगी। विद्या परिषद् अपनी किन्हीं शक्तियों को इस हेतु, समतुल्यता समिति को प्रत्यायोजित कर सकती है।

अध्यादेश क्रमांक — 46

प्रवेश समिति

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009—धारा 6(xviii) तथा 28(1)(ण)]

01. विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए प्रत्येक विद्यापीठ/विभाग के सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश समिति निम्नानुसार समाविष्ट होगी :

i)	संबंधित विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष (एकल अनुशासनिक विद्यापीठ के प्रकरण में)/विभाग का अध्यक्ष	अध्यक्ष
ii)	एक संकाय सदस्य, जो सह आचार्य के पद से निम्न पद का न हो, संकायाध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित	सदस्य
iii)	तीन शिक्षक, आचार्यों, सह आचार्यों तथा सहायक आचार्यों प्रत्येक में से एक, बारी—बारी से,	सदस्य
iv)	अजा/अजजा/अपिव/महिला तथा अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों का, प्रत्येक में से एक, वरियतः शिक्षण समुदाय से, प्रतिनिधित्व सदस्य, यदि उपरोक्त सदस्यों में प्रतिनिधित्व न हुआ हो	सदस्य

02. समिति :

क) विद्या परिषद् द्वारा समय—समय पर विहित प्रवेश की शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों की जांच करेगी ;

ख) प्रवेश परीक्षा(ओं) और/या साक्षात्कार, या जैसा अन्यथा प्रावधान किया हो, संचालित करेगी ;

ग) तथापि, संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रकरण में, ऐसी परीक्षा में निष्पादन उत्तरवर्ती प्रवेश प्रक्रिया का आधार होगा ;

घ) प्रवेश परीक्षा(ओं) के मूल्यांकन के बाद, प्रत्येक वर्ग से युक्तिसंगत संख्या में अभ्यर्थियों को संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु बुलाया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने प्रवेश परीक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, जैसा विद्यापरिषद द्वारा विहित किया गया हो, न्यूनतम विच्छेदक अंक अर्जित किये हों ;

ङ) प्रवेश परीक्षा और/या साक्षात्कार में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर योग्यता क्रमसूची तैयार करेगी ;

च) प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी, जो कि समिति के अध्यक्ष द्वारा संबंधित विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी ;

छ) प्रवेश परीक्षा(ओं) की विश्वसनीयता तथा मानकों को सुधारने के तरीकों के लिए सुझाव देगी।

2.1 समिति के सदस्य, पदेन सदस्यों से भिन्न, एक वर्ष की कार्यावधि के लिए पद धारण करेंगे।

2.2 पूर्व वर्णित किन्हीं वर्गों में से कोई शिक्षक की अनुपलब्धता के प्रकरण में, विभाग का अध्यक्ष शेष शिक्षकों के वर्गों में से अन्य शिक्षक को बारी—बारी से नियुक्त कर सकता है।

2.3 प्रवेश समिति का अध्यक्ष, कुलपति को सूचना के अधीन, विभिन्न विशेषज्ञता के क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए विभाग/केन्द्र के तीन से अनधिक सदस्यों को, सहयोजित कर सकता है।

2.4 समिति के कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से कम नहीं सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

अध्यादेश क्रमांक — 48

सहायक आचार्यों, सह आचार्यों तथा आचार्यों की जीवनवृत्ति में अग्रगति के माध्यम से पदोन्नति के मानदण्ड/विनियम

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 — धारा 28(1)(ण)]

विश्वविद्यालय में सहायक आचार्यों/सह आचार्यों/आचार्यों की, जीवनवृत्ति में अग्रगति के माध्यम से पदोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित मानदण्डों/विनियमों, जैसे प्रचलन में हो तथा समय—समय पर जैसे संशोधित हों, से शासित होगी।

अध्यादेश क्रमांक –50

अभ्यागत अध्येता

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 – धारा 6(xvi) तथा परिनियम 12(xviii)]

01. अभ्यागत अध्येता अपने विषय का लब्धप्रतिष्ठ शोधकर्ता होगा।
02. सेवानिवृत्त व्यक्ति, सत्तर वर्ष की आयु तक, को भी अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा। अभ्यागत अध्येता की अवधि एक वर्ष में न्यूनतम दो सप्ताह से कम नहीं तथा अधिकतम 04 माह तक की होगी।
03. अभ्यागत अध्येता को, एक माह की अवधि तक के प्रवास के लिए प्रतिदिन रूपये 600/– से अधिक नहीं का दैनिक भत्ता देय होगा। एक माह से अधिक की अवधि के प्रवास के लिए दर, अभ्यागत आचार्य के प्रकरण में जैसी हो, होंगी।
04. यात्रा व्ययों का भुगतान विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार होगा।
05. मूल संस्था, अभ्यागत अध्येता के रूप में नियुक्ति की अवधि के लिए, वेतन तथा सामान्य भत्तों सहित अकादमिक छुट्टी स्वीकृत करेगी।
06. आतिथेय विश्वविद्यालय अभ्यागत अध्येता को विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में निःशुल्क आवास, उपलब्ध करायेगा, किन्तु अभ्यागत अध्येता द्वारा भोजन शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

    एक ही व्यक्ति को, एक ही विश्वविद्यालय में, अभ्यागत अध्येता के रूप में एक वर्ष में एक बार से अधिक आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा, लेकिन एक वर्ष की अवधि के अंदर, चार माह की अवधि को विश्वविद्यालय इच्छानुसार विभाजित कर सकेगा।

अध्यादेश क्रमांक –51

अनुबद्ध संकाय सदस्य तथा निवासी शोधछात्र की नियुक्ति

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 – धारा 6(viii)(xvi) तथा धारा 28(1)(ण)]

01. शोध तथा अध्यापन में अंतरअनुशासनिक सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य परिषद् अनुबद्ध संकाय सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है, जो कि अन्य विश्वविद्यालयों/प्रतिष्ठित शोध संस्थानों/संगठनों (एईसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर, आईसीएआर, आदि) से अधिमान्यतः तुलनात्मक रूप से युवा तथा मध्य–जीविका पेशावर तथा विशेषज्ञ हों।
02. ऐसे संकाय सदस्य जो स्नातकोत्तर अथवा डॉक्टरेट योग्यता रखते हों तथा उनके पास अकादमिक एवं शोध प्रत्यय–पत्र हों, विश्वविद्यालय विभाग में अनुबद्ध संकाय सदस्य की नियुक्ति के लिए पात्र होंगे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा व्यापारिक निगमों से पेशावर तथा विशेषज्ञ भी इसमें सम्मिलित किये जा सकेंगे।
03. अनुबद्ध संकाय सदस्य की नियुक्ति एक अकादमिक वर्ष अथवा दो सेमेस्टर की अवधि के लिए की जायगी।
04. उनको प्रति अध्यापन घण्टा/सत्र के लिए रूपये 1500/–, बशर्ते कि एक माह में रूपये 30000/– से अधिक न हो, का प्रतीक मानदेय दिया जायेगा।
05. आतिथेय विश्वविद्यालय उनको, उनके कार्य तथा छात्रों एवं अभिजातों से परस्पर सम्पर्क को सुकर बनाने के लिए, समुचित कार्यालय–स्थान उपलब्ध करायेगा।
06. विश्वविद्यालय में किसी दिये हुए एक समय में 5 से अधिक ऐसे सदस्य नहीं होंगे।

निवासी शोध छात्र

01. शोध एवं व्यावसायिक संगठनों (यथा– एईसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर, आईसीएआर, आदि) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा व्यापारिक निगमों के वरिष्ठ पेशावर तथा विशेषज्ञ, जो स्नातकोत्तर अथवा डॉक्टरेट योग्यता रखते हों तथा उनके पास अकादमिक एवं शोध प्रत्यय–पत्र हों, विश्वविद्यालय विभाग में निवासी शोध छात्र के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
02. विदेशी संगठनों में कार्यरत् अप्रवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के पेशावर तथा विशेषज्ञ भी इन पदो के लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार ये पद, विदेशी (गैर भारतीय) पेशावर तथा विशेषज्ञ जो कि अपने कार्य में भारतीय विषयों से संबंधित हों, के लिए भी उपलब्ध होंगे।
03. निवासी शोध छात्र की नियुक्ति छः माह से चौबीस माह के मध्य की कार्यावधि के लिए की जायगी तथा उनको प्रति माह रूपये 80000/– का समेकित पारिश्रमिक तथा रूपये 100000/– प्रति वर्ष का आकस्मिक अनुदान दिया जायेगा।
04. इसके अतिरिक्त आतिथेय विश्वविद्यालय उनको समुचित कार्यालय – स्थान तथा आवासीय सविधा उपलब्ध करायेगा।
05. विश्वविद्यालय में किसी दिये हुए एक समय में दो से अधिक ऐसे सदस्य नहीं होंगे।

कुलपति, ऐसे संबंधित व्यक्ति तथा दो संबंधित विभाग/केन्द्र/संस्थान के अध्यक्षों से परामर्श के बाद उसको अनुबद्ध संकाय सदस्य/निवासी शोध छात्र के रूप में नियुक्ति के लिए कार्य परिषद् को अपनी अनुशंसा देगा।

अध्यादेश क्रमांक –52

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 – धारा 28(1)(त) तथा धारा 28(1)(ढ)]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी विनियम 2009, एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर यथा निर्गत तथा संशोधित विनियमों के अंतर्गत रैगिंग निषिद्ध तथा दंडनीय है।

प्रोफेसर बी.एन. तिवारी, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./166/17]

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009, No. 25 of 2009)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 26th July, 2017

No. 220/Academic/2017. — In exercise of the power vested under Section 28 (2) of the Central Universities Act 2009, the Vice-Chancellor had made the following Ordinances with the previous approval of the competent authority and which are hereby notified as follows : –

ORDINANCE No. - 01

SCHOOL BOARD, ITS POWERS AND FUNCTIONS AND CONDUCT OF THE MEETING

[The Central Universities Act 2009 – Section 28(1) (o), Statute 15(3) 15(4)]

Constitution of School Board

(1) Each School Board shall consist of the following members:

i. Dean of the School of Studies who shall be the Chairman;
ii. Heads of the Departments in the School of Studies;
iii. All Professors in the School of Studies;
iv. One Associate Professor and one Assistant Professor by rotation according to seniority from each department in the Schools of Studies;
v. Persons not connected with the University having special knowledge of the subject or subjects concerned nominated by the Academic Council, one for each department of the School of Studies provided that the number of members to be nominated to each of the School of Studies of Law, Commerce and Management Studies under this sub clause shall be two.

(2) The term of the Office of a member shall be of three years

Powers and Functions:

5. To consider schemes for the advancement of the standards of teaching and research, and to submit such proposals to the Academic Council;

ii) To approve the programmes of study;

iii) To recommend the names of the examiners and moderators to the Executive Council;

iv) To decide the mode of continuous assessment and also to maintain record of continuous assessment;

v) To consider and recommend to the School Board, the M.Phil. / Ph.D. programmes of candidates in the School;

vi) To consider applications for admission to the programmes of research leading to Ph.D. degree;

vii) To co-ordinate the time-tables of the Department of the School;

viii) To appoint committees to organize the teaching and research work in subjects or areas which are of interest to more than one Department or School, or which do not fall within the spheres of any Department or School, and to supervise the work of such Committees. The composition, powers and functions of such Committees shall be prescribed by the regulations;

ix) To frame general rules for the evaluation of sessional work;

x) To consider proposals regarding the welfare of the students of the School;

xi) To appoint Supervisors or Advisers for students enrolled for M.Phil. / Ph.D. programmes on the recommendation of the Department / Centre / Centre of the school concerned;

xii) To recommend to the Executive Council the names of examiners for the evaluation of thesis submitted by the candidates for research degrees and make suitable recommendations;

xiii) To consider the reports of the examiners appointed for the evaluation of research work submitted by the candidates for research degrees and make suitable recommendations;

xiv) To recommend the award of University Research Scholarships;

xv) To consider and recommend applications for any kind of admissible leave for academic purpose;

xvi) To recommend to the Academic Council the creation and abolition of teaching posts after considering proposals received from Department of the school and Committees mentioned in clause (viii) above;

xvii) To promote research within the School and to submit reports on research to the Academic Council;

xviii) To consider and to make such recommendation to the Academic Council on any question pertaining to its sphere of work as may appear to it necessary;

xix) To delegate to the Dean, or to any other member of the Board or to a Committee such general or specific powers as may be decided by the Board from time to time; and

xx) To perform all other functions which may be prescribed by the Act, the Statutes or the Ordinances, and to consider all such matters as may be referred to it by the Executive council, the Academic Council or the Vice-Chancellor.

1. Meetings of the Board:

a. Meetings of a Board shall either be ordinary or special.

b. Ordinarily meetings shall be held at least once in a Semester.

c. Special meetings may be called by the Dean of the School at his / her own initiative or shall be called at the suggestion of the Vice-Chancellor or on a written request from at least 50% of the members of the Board. No item other than those notified earlier shall be discussed at the special meeting. All members who have requested for the Special meetings will have to be present for the meeting.

d. Notice for a meeting of the Board, other than a special meeting, shall ordinarily be issued at least 10 days before the day fixed for the meeting.

e. The quorum for a meeting of the Board shall be 50% of its members.

f. The rules of the conduct of meetings of the Board shall be prescribed by the regulations.

ORDINANCE No. – 32

TERMS AND CONDITIONS OF THE APPOINTMENT OF HONORARY PROFESSORS, EMERITUS PROFESSORS AND VISITING FELLOWS.

[The Central Universities Act, 2009 — Sections 6 (xvi) and 28 (1) (o)]

HONORARY PROFESSOR:

(1) The Executive Council may appoint any outstanding scholar or eminent person, whose association with the University would help furtherance of the academic activities of the university as an Honorary Professor for a period of two years; the period may, however, be extended for a period of one year only once.

(2) The Head of the Department concerned, in consultation with his colleagues in the Department may propose to the Vice-Chancellor the appointment a person as Honorary Professor and the Vice-Chancellor may, after satisfying himself, recommend the appointment to the Academic Council and the appointment will be made by the Executive Council on the recommendation of the Academic Council.

(3) No person shall be appointed or continued as Honorary Professor on his attaining the age of 65 years.

(4) An Honorary Professor shall be expected to be associated with the normal academic activities of the Department to which he is attached. He/she shall, however, not be a member of any Committee of the Department or of the University. An Honorary Professorship will carry with it no financial commitment for the University or responsibility for providing residential accommodation.

VISITING FELLOWS

5. Eminent scholars who have made outstanding contribution in one or more fields of study covered at the University may with the approval of the Executive Council be invited as Visiting Fellow by the Vice-Chancellor for a period not exceeding four months but not less than two weeks in a year to deliver a course of lectures or take seminars or participate in such other manner as may be deemed appropriate in teaching and research work of the University.

(ii) A Visiting Fellow may be paid an honorarium and provided with hospitality as the case may be in accordance with the following criteria:

  (a) A Visiting Fellow, not receiving salary from the parent institution, will be paid as in the case of Visiting Professors.

  (b) A Visiting Fellow, receiving salary from the parent institution, will be paid consolidate amount as per UGC norms with free accommodation.

(iii) A Visiting Fellow from outside the country may be paid economy class airfare both ways by direct route provided the duration of the visit is at least one month. A Visiting Fellow from within the country will be paid travelling allowance as per rules of the University.

Besides academics, eminent persons in other fields such as industry, trade, business, journalism, music, literature, visual and performing arts, etc. who may be interested in associating themselves with the University, could also be invited as Visiting Fellow as per rules.

EMERITUS PROFESSOR:

1. (a) The Executive Council may, after the retirement confer the title of Professor Emeritus. on a Professor of the University who has retired from this University after a total service of at least fifteen years, including at least seven years service as Professor in the University.

   (b) The Vice-Chancellor may recommend to the Academic Council the conferment of the title of Professor Emeritus and on the recommendations of the Academic Council; the Executive Council may confer the title.

2. The title of Professor Emeritus will be conferred only on scholars who have made outstanding contribution to their subject by their published research work and teaching.

3. A Professor Emeritus may pursue academic work within the framework of the Department to which he is attached. He will not be provided with any special facilities like a personal office or an independent laboratory nor will he be a member of any Committee of the Department or of the University.

4. Emeritus Professorship will carry with it no financial commitment for the University or responsibility for providing residential accommodation.

5. The conferment of the title of Professor Emeritus will be for life.

ORDINANCE No. – 35

EMOLUMENTS, TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE AND POWERS AND FUNCTIONS OF THE VICE CHANCELLOR

[The Central Universities Act, 2009, Section 28(1)(o) and Statute 2(6)]

SALARY

1. Pay: As notified by the University Grants Commission /Central Government from time to time.
2. Dearness and other Allowances: As notified by the Central Government from time to time other than House Rent Allowance.
3. The Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as fixed by the Central Government from time to time.
4. The Vice-Chancellor shall be entitled to leave travel Concession, as approved by the University from time to time, which shall be in conformity with Government of India rules and the entitlement shall be equivalent to the rank of Secretary to Government of India.
5. The Vice-Chancellor shall be entitled to the reimbursement of medical expenses incurred on the medical treatment of himself and his family members obtained for the Private OPD/Private Wards of any recognized Hospital/Nursing Home as recognized by the University. The list of Hospitals/ Nursing Homes should be out of the list recognized by the Government of India.
6. The Vice-Chancellor shall be entitled to the reimbursement of the expenses on account of T.A., D.A. for himself/herself and his/her family members from his home town to place of duty and back on his/ her assuming office and relinquishing it on the expiry of his/her tenure.

7. The Vice- Chancellor shall be entitled to receive Traveling Allowance at the rates fixed by the Executive Council, which shall be in conformity with Government of India rules and the entitlement shall be at par with the post equivalent to the rank of Secretary to Government of India.

Leave:

1(a) The Vice Chancellor shall, during the tenure of his office, be entitled to leave on Full Pay at the rate of 30 days in the calendar year. The Leave shall be credited to his account in advance in two half yearly 18nstalments of 15 days each on the first day of January and the first day of July every year

Provided that if the Vice Chancellor assumes or relinquishes the charge of the Office of the Vice Chancellor during the currency of half year, the leave shall be credited proportionately at the rate of 2½ days for each completed months of service.

1(b) The Leave at the credit of the Vice Chancellor at the close of the previous half year shall be carried forward to the new half year, subject to the condition that the Leave, so carried forward plus the credit for that half year, does not exceed the maximum limit of 300 days.

1(c) The Vice Chancellor, on relinquishing the charge of his/her office, shall be entitled for the number of days equivalent of the leave Salary admissible for the number of days of Leave on Full Pay due to him at the time of his relinquishing of charge, subject to a maximum of 300 days, including encashment benefit availed of elsewhere.

1(d) The Vice Chancellor shall also be entitled to Half Pay Leave at the rate of 20 days for each completed year of service. The Half-Pay Leave may also be availed of as commuted Leave on production of Medical certificate, provided that when such commuted leave is availed of is availed, twice the amount of Half-Pay Leave shall be debited against the Half-Pay Leave due.

1(e) The Vice Chancellor shall also be entitled to avail himself of Extra- Ordinary Leave without pay for a maximum period of three months during the full term of five year on medical grounds or otherwise.

2. In case the Vice Chancellor is appointed for further term, the leave period mentioned above, shall apply separately to each term.

3. During the period of such Leave, the Vice Chancellor shall be entitled to the same Salary, Honorarium and Allowances and such other facilities of services as may have been provided.

4. In the case of any absence of the Vice Chancellor occasioned by any call by the Central or State Government, Public Service, or on Deputation on behalf of the University for any public purpose, the period, so spent shall be treated on duty.

5. Where an employee of the University is appointed as the Vice Chancellor, he/she shall be allowed to avail himself of any Leave at his credit before his/her appointment as the Vice Chancellor. Similarly, on his/her relinquishing the post of the Vice Chancellor and in event of his/her re-joining his/her old post, he /she shall be entitled to carry back the Leave at his/her credit to the new post.

6. Further he/she may be allowed to contribute to any provident fund of which he / she is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his/ her appointment as Vice Chancellor.

7. If a person, employed in another institution, is appointed the Vice Chancellor on Deputation, he/she shall be entitled to Salary, Allowances, Leave and leave Salary as per deputation Rules of the institution to which he/she was entitled prior the his/her appointment as the Vice Chancellor and till he/she continues to hold his/her lien on this post. The University shall also pay Leave Salary, Provident Fund, Pension Contributions to the Institution, where he/she is permanently employed, as admissible under the Rules.

Amenities

1) The Vice Chancellor shall be entitled to have water, power and rent free furnished residential accommodation with such furniture, as may be approved by the University. The premises of his/her lodging will be maintained by the University.

2) The Vice-Chancellor shall be entitled to the facility of a free official car. He shall also be entitled to mobile phone and free telephone (with STD and ISD) service at his/her residence.

3) The Vice-Chancellor shall be entitled to one cook and two attendants at his/her residence.

POWERS AND FUNCTIONS

The Vice-Chancellor is the Chief Executive and Academic Head of the University and as such his/her powers and duties include, among others, the following:-

1. To ensure that the provisions of the Act, Statutes, Ordinances and Regulations are fully observed;

2. To delegate his powers for day-to-day work to the Pro-Vice- Chancellor(s), Deans, Heads of the Departments and other officers who should act on the basis of clear rules laid down in this regard;

3. To ensure that the routine items regarding creation of temporary posts for short duration and sanction of leave etc. should not normally be referred to the Executive council;
4. To make appointments of Deans, Heads, Dean Students Welfare and Wardens etc. The appointment of the Pro-Vice-Chancellor and Proctor however, may be made as per the provisions of the Act and Statutes.
5. Power, not to act upon any decision of any authority, if he is of the opinion that it is ultravires of the provisions of the Act or Statues or Ordinances or that such a decision is not in the best interests of the University. In both the cases he could ask the authority concerned to review the decision and if differences persist, the matter be referred immediately to the Visitor, whose decision shall be final and binding on the Vice Chancellor.
6. As the Chairman of the authorities, bodies and committees of the University he should be empowered to suspend a member from the meeting of the authority, body or committee for persisting to obstruct or stall the proceedings or for indulging in behaviour unbecoming of a member.
7. All the disciplinary powers in regard to students and employees shall vest with the Vice-Chancellor. He shall have the powers to suspend an employee (teacher or a member of the Academic staff) and initiate disciplinary action against him. However, the Vice-Chancellor could delegate these powers to other officers.
8. He shall supervise the functioning of Controller of Examinations for holding and conducting the university examinations properly at the scheduled time and for ensuring that the results of such examinations are published expeditiously and that academic session of the university start and end on proper dates.
9. In an emergent situation to take any action on behalf of any authority in which the power is vested and to report the action taken in the next meeting of the authority.
10. He shall be responsible to allocate responsibilities and to audit the performance of officers, faculty members, staff and students against the expected standards.
11. Managing the people (including students and academic staff), in a manner whereby there is a positive impact on society at large and the actions are in accordance with the overall plans of development etc.
12. To exercise all administrative and financial powers as defined in Statutes/Ordinances.
13. He/she shall pass such Orders and take such measures that are necessary to implement any of the above.

ORDINANCE No. – 36

EMOLUMENTS, TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE AND POWERS AND FUNCTIONS OF THE PRO VICE CHANCELLOR

[The Central Universities Act, 2009 – Section 28(1)(o) and Statute 4(3)]

The Pro Vice Chancellor shall receive a salary as follows:

1. Pay: As notified by the Central Government from time to time.
2. Dearness and other Allowances: As fixed by the Central Government from time to time

   Where an employee of this university or any other Institution / Government and its organisations is appointed as Pro Vice Chancellor, he/she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, (namely General Provident Fund/ Contributory Provident Fund/Pension/Gratuity /Transfer TA) to which he was entitled prior to his appointment as Pro Vice Chancellor, and till he/she continues to hold his/her lien on that post.
3. The Pro Vice Chancellor shall be entitled to the reimbursement of medical expenses incurred on the medical treatment of himself/ erself and his/her family members obtained for the Private GPO/Private Wards of any recognized Hospital/Nursing Home as recognized by the University. The list of Hospitals/Nursing Homes should be out of the list recognized by the Government of India.
4. The Pro Vice-Chancellor shall be entitled to the reimbursement of the expenses on account of T.A., D.A. for himself/herself and his/her family members from home town to post of duty and back on his/her assuming office and relinquishing it on the expiry of his/her tenure.
5. The Pro Vice Chancellor shall be entitled to receive Traveling Allowance at the rates fixed by the Executive Council, which shall be in conformity with Government of India rules and entitlement shall be at par with the post of equivalent grade pay/academic grade pay.
6. The Pro Vice Chancellor shall be entitled to have water, power and rent free furnished residential accommodation. The premises of his/her lodging will be maintained by the University.
7. The Pro Vice Chancellor shall be entitled to the facility of a staff car for journey performed between Office and his/her Residence. He shall also be entitled to mobile phone and free telephone (with STD and ISD) service at his/her residence.

8. The Pro Vice Chancellor shall be entitled to an attendant at his/her residence.

Leave:

5. The Pro Vice Chancellor shall be entitled to leave on Full Pay at the rate of 30 days in the calendar year. The Leave shall be credited to his/her account in advance in two half yearly instalments of 15 days each on the first day of January and the first day of July every year.

   Provided that if the Pro Vice Chancellor assumes or relinquishes the charge of the Office of the Pro Vice Chancellor during the currency of half year, the leave shall be credited proportionately at the rate of 2 ½ days for each completed month of service.

b. The Leave at the credit of the Pro Vice-Chancellor at the close of the previous half year shall be carried forward to the new half year, subject to the condition that the Leave, so carried forward plus the credit for that half year, does not exceed the maximum limit of 300 days.

c. The Pro Vice-Chancellor, on relinquishing the charge of his/her office, shall be entitled to receive a sum equivalent of the Leave Salary admissible for the number of days of Leave on Full Pay due to him at the time of his relinquishing of charge, subject to a maximum of 300 days, including encashment benefit availed of elsewhere.

d. The Pro Vice-Chancellor shall also be entitled to Half Pay Leave at the rate of 20 days for each completed year of service. The Half-Pay Leave may also be availed of as Commuted Leave on production of Medical Certificate, provided that when such Commuted leave is availed of is availed, twice the amount of Half-Pay Leave shall be debited against the Half-Pay Leave due.

e. In case the Pro Vice-Chancellor is appointed for further term, the leave period mentioned above, shall apply separately to each term.

f. During the period of such Leave, the Pro Vice-Chancellor shall be entitled to the same Salary, Honorarium and Allowances and such other facilities of services as may have been provided.

g. In the case of any absence of the Pro Vice-Chancellor occasioned by any call by the Central or State Government, Public Service, or on Deputation on behalf of the University for any public purpose, the period so spent shall be treated as on duty.

h. Where an employee of the University is appointed as the Pro-Vice Chancellor, he/she shall be allowed to avail himself of any Leave at his credit before his/her appointment as the Pro-Vice Chancellor. Similarly, on his/her relinquishing the post of the Pro-Vice Chancellor and in event of his/her re-joining his/her old post, he/she shall be entitled to carry back the Leave at his/her credit to the new post.

   Further, he/she may be allowed to contribute to any provident fund of which he/she is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his/her appointment as Pro Vice- Chancellor.

5. If a person, employed in another institution, is appointed the Pro Vice-Chancellor on Deputation, he/she shall be entitled to Salary, Allowances, Leave and leave Salary as per deputation Rules of the institution to which he/she was entitled prior to his/her appointment as the Pro Vice-Chancellor and till he/she continues to hold his/her lien on this post. The University shall also pay Leave Salary, Provident Fund, and Pension Contributions to the Institution, where he/she permanently employed, as admissible under the Rules.

POWERS AND FUNCTIONS

The Pro Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf, from time to time, and shall also exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him/ her by the Vice-Chancellor.

ORDINANCE No. – 37

EMOLUMENTS, TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE AND POWERS AND FUNCTIONS OF THE REGISTRAR

[The Central Universities Act, 2009 – Section 28(1)(o) and Statute 6(3)]

5. The Registrar shall be a whole-time salaried officer appointed on the basis of direct recruitment on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose for tenure of five years which can be re-appointed for a similar term by the Executive Council (after due observance of Selection Process) and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.

Provided that the Registrar shall retire on attaining the age of sixty two years.

Where an employee of this university or any other Institution/Government and its organisations is appointed as Registrar, he/she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, (namely General Provident Fund/Contributory Provident Fund/Pension/Gratuity/Transfer TA) to which he was entitled prior to his appointment as Registrar, and till he/she continues to hold his/her lien on that post.

2. The terms and conditions of service of the Registrar shall be such as prescribed for other non vocational employees of the University.
3. When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
4. If the services of the Registrar are borrowed from Government or any other organization/Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the Government of India.
5. A Registrar on Deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendations of the Vice Chancellor.
6. The Registrar shall be entitled to unfurnished residential accommodation for which he shall pay prescribed license fee as also to mobile phone and free telephone (with STD and ISD) service at his/her residence.
7. The Registrar shall be entitled to such Leave, Allowances, Provident Fund and other, terminal benefits as prescribed by the University from time to time for its non vocational staff.
8. The Registrar shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his/her residence.

RESPONSIBILITIES AND DUTIES

1. The Registrar shall have power to take disciplinary action against such of the employees, excluding teachers and other academic staff, as may be specified in the order of the Executive Council and to suspend them pending inquiry, to administer warnings to them or to impose on them the penalty of censure or the withholding of increment:
    a. Provided that no such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of showing cause against the Action proposed to be taken in regard to him.
    b. An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the registrar imposing any of the penalties specified in sub-clause (a).
    c. In a case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Registrar is called for, the Registrar shall, upon the conclusion of the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations:

    Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty.
2. The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Executive Council and the Academic Council, but shall not be deemed to be a member of either of these authorities and he shall be ex-officio Member-Secretary of the Court.
3. It shall be the duty of the Registrar-
    a) To be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge;
    b) To issue all notices convening meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council and of any Committees appointed by those authorities.
    c) To keep the minutes of all the meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council and of any Committee appointed by those authorities.
    d) To conduct the official correspondence of the Court, the Executive Council and the Academic Council;
    e) To supply to the Visitor, copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as they are issued and the minutes of such meetings;
    f) To represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose; and
    g) To perform such other duties as may be specified in the Statutes, the Ordinances or the Regulations or as may be required from time to time by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

ORDINANCE No. – 38

EMOLUMENTS, TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE FINANCE OFFICER

[The Central Universities Act, 2009, Section 28(1)(o) and Statute 7(3)]

5. The Finance Officer shall be a whole-time salaried officer appointed on the basis of direct recruitment on the recommendations of a Selection committee constituted for the purpose for tenure of five years which can be re-appointed for a similar term by the Executive Council (after due observance of Selection Process) and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.

Provided that if the Finance Officer is appointed on deputation basis from an organization/ Accounts/Audit Service/Cadre, his/her salary shall be such as admissible to him/her according to the rules of deputation of service to which he/she belongs.

Provided, that the Finance Officer shall retire on attaining the age of sixty-two years.

2. Where an employee of this university or any other Institution/Government and its organisations is appointed as Finance Officer, he/she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, (namely General Provident Fund/Contributory Provident Fund/Pension/ Gratuity/ Transfer TA) to which he was entitled prior to his appointment as Finance Officer, and till he/she continues to hold his/her lien on that post.
3. When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice- Chancellor may appoint for the purpose.
4. The terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as prescribed of other non vocational employees of the University.
5. If the services of the Finance Officer are borrowed from Government or any other organization/ Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the Government of India.
6. A Finance Officer on Deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor.
7. The Finance Officer shall be entitled to unfurnished residential accommodation for which he shall pay prescribed license fee as also mobile phone and free telephone (with STD and ISD) service at his/her residence.
8. The Finance Officer shall be entitled to such Leave, Allowances, Provident Fund and other, terminal benefits as prescribed by the University from time to time for its non-vacational staff.
9. The Finance Officer shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his/her residence.

RESPONSIBILITIES AND DUTIES

The Finance Officer shall be ex-officio Secretary of the Finance Committee, but shall not be deemed to be a member of such Committee.

1. The Finance Officer shall-
    a. Exercise General supervision over the funds of the University and shall advise it as regards its financial policy; and
    b. perform such other financial functions as may be assigned to him by the Executive Council or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.
    c. Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall-
        i. hold and manage the property and investments of the University including trust and endowed property;
        ii. ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and nonrecurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted.
        iii. be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University and for their presentation of the Executive Council;
        iv. keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments;
        v. watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed;

vi. ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that stock-checking is conducted, of equipment and other consumable materials in all offices, Departments, Centres and Specialized Laboratories;

vii. bring to the notice of the Vice-Chancellor unauthorised expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault; and

viii. Call for from any office, Department, Centre, Laboratory, College or Institution maintained by the University any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.

2. Any receipt given by the Finance Officer or the person or persons duly authorized in this behalf by the Executive Council for any money payable to the University shall be sufficient discharge for payment of such money.

ORDINANCE No. – 39

EMOLUMENTS, TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS

[The Central Universities Act, 2009, Section 28(1)(o) and Statute 8(3)]

5. The Controller of Examinations shall be a whole-time salaried officer appointed on the basis of direct recruitment on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose for tenure of five years which can be re-appointed for a similar term by the Executive Council (after due observance of Selection Process) and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.

Provided, that if the Controller of Examinations is appointed on deputation basis from any organization his/her salary shall be such as admissible to him/her according to the rules of deputation of service to which he/she belongs.

Provided, further that the Controller of Examinations shall retire on attaining the age of sixty two years.

2. Where an employee of this university or any other Institution/Government and its organisations is appointed as Controller of Examinations, he/she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, (namely General Provident Fund/Contributory Provident Fund/ Pension/ Gratuity/ Transfer TA) to which he was entitled prior to his appointment as Controller of Examinations, and till he/she continues to hold his/her lien on that post.

3. The terms and conditions of service of the Controller of Examinations shall be such as prescribed of other non vacational employees of the University.

4. If the services of the Controller of Examinations are borrowed from Government or any other organization/Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the Government of India.

5. When the office of the Controller of Examinations is vacant or when the Controller of Examinations is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

6. A Controller of Examinations on Deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor.

7. The Controller of Examinations shall be entitled to unfurnished residential accommodation for which he shall pay prescribed license fee as also to mobile phone and free telephone (with STD and ISD) service at his/her residence.

8. The Controller of Examinations shall be entitled to such Leave, Allowances, Provident Fund and other, terminal benefits as prescribed by the University from time to time for its non-vocational staff.

9. The Controller of Examinations shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his/her residence.

RESPONSIBILITIES AND DUTIES

Subject to the provision of the Act, Statutes and Ordinance, the Controller of Examinations shall perform the duties in regard to the arrangements for the conduct of examinations and such duties and functions as may be assigned to him from time to time by the Executive Council/Vice-Chancellor.

ORDINANCE No. - 40

EMOLUMENTS, TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE LIBRARIAN
[The Central Universities Act, 2009, Section 28(1)(o)]

5. The Librarian shall be a whole-time salaried officer appointed on the basis of direct recruitment on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose by the Executive Council and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.

Provided, that if the Librarian is appointed on deputation basis from any organization his/her salary shall be such as admissible to him/her according to the rules of deputation of service to which he/she belongs.

Provided, that the Librarian shall retire on attaining the age of sixty two years.

2. Where an employee of this university or any other Institution/Government and its organisations is appointed as Librarian, he/she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, (namely General Provident Fund/ Contributory Provident Fund/ Pension/ Gratuity/ Transfer TA) to which he was entitled prior to his appointment as Librarian, and till he/she continues to hold his/her lien on that post.
3. The terms and conditions of service of the Librarian shall be such as prescribed of other non vacational employees of the University.
4. If the services of the Librarian are borrowed from Government or any other organization/Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the Government of India.
5. When the office of the Librarian is vacant or when the Librarian is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice- Chancellor may appoint for the purpose.
6. A Librarian on Deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor.
7. The Librarian shall be entitled to unfurnished residential accommodation for which he shall pay prescribed license fee as also a free telephone service (with STD facility) at his/her residence.
8. The Librarian shall be entitled to such Leave, Allowances, Provident Fund and other, terminal benefits as prescribed by the University from time to time for its non-vacational staff.

RESPONSIBILITIES AND DUTIES

The Librarian shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him / her by the Executive Council.

ORDINANCE No. – 41

POWER AND FUNCTIONS OF THE PROCTOR
[The Central Universities Act, 2009 – Section 28(1)(o) and Statute 28(2)]

1. The Proctor shall be appointed by the Executive Council from amongst the teachers of the University, not below the rank of Associate Professor and shall exercise such powers and perform such duties in respect of the maintenance of discipline among students, as may be delegated/assigned to him/her by the Vice-Chancellor.

   "Students", referred to above, mean regular, private/ex-students of the University on the rolls of Departments of Studies/Hostels/Centres/Schools.
2. The Proctor shall hold office for a period of three years and shall be eligible for re-appointment.
3. The Proctor shall have all such powers delegated to him/her by the Vice-Chancellor.
4. The Proctor shall be entitled to such allowances and amenities as the Executive Council may approve from time to time.
5. The Proctor shall be the Secretary of the Discipline Committee, and he/she shall convene the meetings of the Committee.

6. The Proctor shall be assisted by Deputy Proctors and Assistant Proctors appointed by the Vice-Chancellor for a term of three years.
7. The Deputy Proctors and Assistant Proctors shall be entitled to such allowances and amenities as the Executive Council may approve from time to time.
8. The Proctor shall have the power to take cognizance of any breach of discipline, and if the circumstances so require, to take immediate disciplinary action in such cases.
9. The Proctor shall :
   (1) monitor the disciplinary climate prevailing in the student community;
   (2) take preventive steps such as issue of notices, warnings, instructions regulating certain acts, and other arrangements for the purpose of forestalling acts of individual or collective indiscipline;
   (3) collect relevant facts about the incidents of indiscipline, evaluate the evidence and decide/recommend the quantum of punishment to be imposed on the erring students. Whenever considered necessary, the Proctor shall place the relevant information before the Vice-Chancellor or the Discipline Committee for their decision; and
   (4) issue all orders relating to disciplinary proceedings against students.
10. The Proctor shall make arrangement for the maintenance of Cycle/Scooter Stands in the Schools.
11. The Proctor shall maintain liaison with the local Administration in matters regarding the law and order situation in the University Campus.
12. The Proctor shall have the power:
   (1) to suspend or institute proceedings in cases of breach of discipline, referred to him/her by the Vice-Chancellor or reported to him/her by any other person or noticed by himself/herself;
   (2) to suspend a student from the University up to a maximum period of two weeks; and
   (3) to impose a fine as prescribed from time to time.
13. In all cases of disciplinary action, where the Proctor dealing with the matter considers that a higher punishment than he/she has power to impose is required, he/she shall report the same to the Discipline Committee for suitable action.
14. Foreign students welfare (visa etc.)
15. VIP Security
16. Protection of University property

The Proctor shall perform such other functions as the Vice-Chancellor may direct from time to time.

ORDINANCE No. -42

POWERS AND FUNCTIONS OF THE DEAN, STUDENTS' WELFARE

[The Central Universities Act, 2009 – Section 28 (1) (l) and (o) and Statute 36]

5. The Dean Students' Welfare (DSW) shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the teachers of the University, not below the rank of Associate Professor and shall exercise such powers and perform such duties in respect of welfare of students, as may be delegated/assigned to him/her by the Vice-Chancellor.

"Students", referred to above, mean regular, private/ex-students of the University on the rolls of Departments of Studies/Hostels/Centres/Schools.

2. The Dean Students' Welfare shall hold office for a period of three years and shall be eligible for re-appointment.
3. The Dean Students' Welfare shall have all such powers delegated to him/her by the Vice-Chancellor.
4. The Dean Students' Welfare shall be entitled to such allowances and amenities as the Executive Council may approve from time to time.
5. The Dean Students' Welfare shall be the Chairman of the Students' Council, and he/she shall convene the meetings of the Students' Council.
6. The Dean Students' Welfare shall be assisted by Deputy Deans Students' Welfare and Assistant Deans Students' Welfare appointed by the Vice-Chancellor for a term of three years.
7. The Deputy Deans Students' Welfare and Assistant Deans Students' Welfare shall be entitled to such allowances and amenities as the Executive Council may approve from time to time.

8 The Dean of Students' Welfare shall look after the general welfare of the students outside the classroom which contribute to the growth and development of their personality. The Dean of Students' Welfare shall endeavour to

promote understanding among the students of fuller realisation of their objects through fruitful intellectual, social, cultural and corporate life in the University.

9. The Dean of Students' Welfare shall assist the Vice-Chancellor in all matters affecting, students generally and shall exercise such powers and perform such other duties as assigned to the Dean of Students' Welfare by the Vice-Chancellor.

10. In addition to all other duties, the Dean of Students' Welfare shall perform duties and functions in respect of the following matters in consultation and coordination with other relevant officers and units of the University:

    a. arrangement of facilities for educational tours and excursions and participation in sports activities outside the University;
    b. organisation of social and cultural activities with student participation;
    c. organisation of student bodies in the University and their functioning;
    d. student-teacher relationship;
    e. financial aid to needy students;
    f. securing fellowships or scholarships for further studies in the country or abroad;
    g. health and medical services;
    h. student counselling;
    i. special arrangement to be provided, if any, to women students, and differently abled students;
    j. liaison between University administration and students;
    k. student-information services;
    l. alumni association; and
    m. Issue of certificates as authorized and delegated by the Vice-Chancellor.

11. The Dean of Students' Welfare shall maintain essential particulars of each student from the date of his enrolment in the University.

12. The Dean of Students' Welfare may communicate with the parents/ guardians of the students in respect of any matter requiring assistance and cooperation of the parents/guardians.

13. The Dean of Students' Welfare will function under the control of the Vice-Chancellor and will be a member of Discipline Committee and other Committees involving students and student's matters.

14. The DSW shall report to the Vice-Chancellor cases of students who require special attention or whose conduct and activities are not in the best interests of the University or who are not likely to profit by their continuance in the University.

ORDINANCE No. – 44

DEANS' COMMITTEE

[The Central Universities Act, 2009 – Section 28(1)(l) and (o)]

1. The University shall constitute a Committee of Deans of the University to be known as the Deans' Committee.

2. The Deans' Committee shall comprise the following:
    (i) The Vice-Chancellor - Chairperson (Ex-Officio)
    (ii) All Deans of Schools - Members (Ex-Officio)
    (iii) Registrar - Secretary

5. The functions of this Committee will be as follows:
    a. To recommend deputation of teachers for International Conferences;
    b. To consider such matters as may be necessary arising from the conduct of examinations, standard of results, etc;
    c. To consider general administrative matters relating to functioning of Schools and Departments; and
    d. To consider such other matters as may be assigned to it by the Executive Council or may be referred to by the Vice-Chancellor.

4. The meetings of the Deans' Committee shall be convened by the Chairperson.

5. The quorum for Meeting of the Committee shall be 50% of the total number.

6. The rules of conduct of meetings shall be, as may be, prescribed by Regulations in this regard.

ORDINANCE No. - 45

EQUIVALENCE COMMITTEE FOR RECOGNITION OF EXAMINATIONS/DEGREES

[The Central Universities Act, 2009 – Section 28(1)(o)]

Composition:

There shall be an Equivalence Committee consisting of the following members:

(1)	Pro-Vice-Chancellor or nominee of Vice-Chancellor	Chairman
(2)	Deans of the Schools	Members
(3)	One person nominated by the Academic Council from amongst its members for a period of three years	Member
(4)	Controller of Examinations	Member
(5)	Registrar	Secretary

Functions:

The functions of this Committee shall be:

1. To examine and recommend to the Academic Council equivalence of such examinations/degrees as may be referred to it from time to time including those of foreign Universities.
2. To examine and recommend to the Academic Council the withholding, suspension or cancellation/recognition to any examination/degree for such reasons and such time as it may deem fit.
3. The Committee may invite a domain expert, wherever necessary, to assist in its functioning.

Rules of Business:

The Committee shall frame the Rules of business and lay down guidelines for consideration and approval of the Academic Council. The Academic Council may delegate any of its powers, in this behalf, to the Equivalence Committee.

ORDINANCE No. – 46

ADMISSION COMMITTEE

[The Central Universities Act, 2009 – Section 6(xviii))]

5. There shall be Admission Committee for all the Programmes in each School/Department for regulating the admissions to all Courses offered in the University comprising the following :

i)	The Dean of the School concerned (in case of single discipline Schools)/Head of the Department	Chairman
ii)	One Faculty member, not below the rank of an Associate Professor to be nominated by the Dean	Member
iii)	Three teachers, one each from amongst the Professors, Associate Professors and Assistant Professor by rotation	Member
iv)	One person each representing Members SC/ST/OBC/women and Minority candidates from the teaching community preferably if not already represented by the above members	Member

2. The Committee shall

i. Scrutinize the Application Forms for admission of the candidates in accordance with the conditions of admission prescribed by the Academic Council from time to time;

ii. Conduct the Admission Test(s) and/or Interview; or as otherwise provided.

iii. However in case of Common Entrance test, the performance in such test will form the basis for subsequent admission process.

iv. After the evaluation of the Admission test(s), a reasonable number of candidates from each category will be called for admission to the course concerned subject to their scoring the minimum cut-off marks in the entrance test for admission to different courses as prescribed by the Academic Council;

v. Prepare the merit list based on the marks obtained by the candidates in the Admission Test and/or Interview;

vi. Prepare a list of the candidates selected for admission to be submitted by the Chairman of the Committee to the Dean of the School concerned;

vii. Suggest methods to improve reliability and standard of the entrance test(s).

2.1 The members of the Committee other than ex-officio members shall hold office for a term of one academic year.

2.2 In case of non-availability of any teacher from any of the aforesaid categories, the Head of the Department may appoint another teacher from the remaining categories of the teachers by rotation.

2.3 The Chairman of Admission Committee may co-opt not more than three members of the Department/Centre representing different areas of specialisation under intimation to the Vice-Chancellor.

2.4 Not less than 50% of total number of members of the Committee shall form the quorum.

ORDINANCE No. -48

NORMS *I* REGULATIONS FOR PROMOTION THROUGH CAREER ADVANCEMENT OF ASSISTANT PROFESSORS, ASSOCIATE PROFESSORS AND PROFESSORS

[The Central Universities Act, 2009 – Section 28(1)(o)]

The promotion through career advancement of Assistant Professors/Associate Professors/Professors in the university shall be governed by the Norms/Regulations prescribed by the University Grants Commission in vogue and as amended from time to time.

ORDINANCE No. – 50

VISITING FELLOW

[The Central Universities Act, 2009 – Section 6(xvi) and Statute 12(xviii))]

1. A Visiting Fellow should be a scholar of eminence in his/her subject.
2. Superannuated persons up to the age of 70 years may also be considered for appointment as Visiting Fellow. The minimum tenure of a Visiting Fellow should not be less than two weeks and maximum–up to four months in a year.
3. The Visiting Fellow may be paid daily allowance not exceeding Rs.600/- per day for visits up to one month. For visits beyond one month, the rate may be as in the case of Visiting Professor.
4. Travel expenses may be met in accordance with the Rules of the University.
5. The parent institution will grant academic leave with pay and usual allowance for the duration of the appointment as Visiting Fellow.
6. The host University would provide accommodation to the Visiting Fellow in the University Guest House free of charge, but food charges would be paid by the Visiting Fellow.

The same person may not be invited as Visiting Fellow more than once in a year in the same University, but the period of 4 months can be split up as desired by the University within the period of one year.

ORDINANCE No. – 51

APPOINTMENT OF ADJUNCT FACULTY MEMBERS AND SCHOLARS IN RESIDENCE

[The Central Universities Act, 2009 – Section 6(viii), (xvi) and Section 28(1)(o)]

1. To encourage interdisciplinary collaboration in research and teaching, the Executive Council may appoint adjunct faculty members, who preferably are relatively younger and mid-career professionals and specialists, from other Universities/reputed research institutions/organizations (AEC, ICSSR, CSIR, ICAR, etc).
2. Such faculty should possess postgraduate or doctoral qualifications and have academic and research credentials; will be eligible for appointment as Adjunct Faculty in a University Department and may also include professionals and specialists from PSUs and business corporations,
3. The adjunct faculty member will be appointed on a tenure appointment for one academic year, or for two semesters.
4. They will be offered a token honorarium of up to Rs.1500/- per teaching hour/session, subject to a maximum of Rs.30,000/- per month.
5. The host University will provide them suitable office-space to facilitate their working and interaction with students and peers.
6. There will not be more than 5 such members at any given time in the University.

SCHOLARS-IN-RESIDENCE

1. Senior professionals and specialists from research and professional organizations (for example AEC, ICSSR, CSIR, ICAR, etc.) and those with PSUs and business corporations, with postgraduate or doctoral qualifications and with academic and research credentials will be eligible for appointment as Scholar-in-Residence in a University Department.
2. NRI and PIO professionals and specialists, working in overseas organizations, will also be eligible for these positions. Similarly, these positions will be open to those overseas (non-Indian) professionals and specialists who have been dealing with India issues in their work.
3. The Scholar-in-residence will be appointed on a tenure appointment ranging between six months to twenty-four months and will be offered a consolidated remuneration of up to Rs.80,000/- a month, and a contingency grant of Rs.1,00,000/- per annum.
4. Besides, the host University will provide them suitable office-space and residential accommodation.
5. There will not be more than two such members at any given time in the University.

The Vice-Chancellor after consulting the person concerned and the Heads of two concerned Department/Centre/Institute shall make his recommendation to the Executive Council for appointment as an adjunct faculty member/scholar in residence.

ORDINANCE No. – 52

CURBING THE MENACE OF RAGGING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

[The Central Universities Act, 2009 – Section 28(1)(o) and 28(1)(n)]

Ragging is prohibited and punishable under the UGC Regulations on "Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (2009)" as issued and amended by the UGC from time to time.

Prof. B. N. TIWARY, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./166/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.01 12:03:37 +05'30'